भारतीय रिज़र्व बैंक

----------RESERVE BANK OF INDIA----------

www.rbi.org.in

आरबीआई/2014-15/94

ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 9/02.01.001/2014-15 1 जुलाई 2014

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एसएलबीसी संयोजक बैंक / अग्रणी बैंक

महोदय / महोदया,

मास्टर परिपत्र - अग्रणी बैंक योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना पर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस मास्टर परिपत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना पर 30 जून 2014 तक जारी संबंधित दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है, उक्त दिशानिर्देशों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

2. यह मास्टर परिपत्र आरबीआई वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

ह/-
(ए. उदगाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग,केंद्रीय कार्यालय, 10वीं मंज़िल,केंद्रीय कार्यालय बिल्डिंग,शहीद भगत सिंह मार्ग,पो.बा.सं.10014,मुंबई 400 001
टेलीफोन:Tel No.: 022-22610261/ फैक्स: 022-22610943 ईमेल: audgata@rbi.org.in

Rural Planning & Credit Department,Central Office,10th Floor,Central Office Building,Shahid Bhagat Singh Marg,P.Box No.10014, Mumbai 400 001

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

चेतावनी : मेल रिज़र्व बैंक द्वारा-डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

संरचना

1	प्रस्तावना
2	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण
3	अग्रणी बैंक दायित्व
	क - अग्रणी बैंक दायित्व का आबंटन
	ख - महानगरीय क्षेत्रों के जिलों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
4	अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन
	क - क्रेडिट प्लान तैयार करना
	ख - संभावना संबद्ध क्रेडिट प्लान (पीएलपीएस)
	ग - क्रेडिट प्लान के कार्यनिष्पादन की निगरानी
5	ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी)
6	जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी)
	क - जिला परामर्शदात्री समिति का गठन
	ख - जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों का आयोजन
	ग - जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों की कार्यसूची
	घ - एलडीएम की भूमिका
	ड़ - त्रैमासिक आम बैठक और शिकायत निवारण
	च - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक
	छ - डीसीसी / डीएलआरसी बैठकें - बैठकों का वार्षिक कैलेंडर
7	राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)
	क - एसएलबीसी का गठन
	ख - एसएलबीसी बैठक का आयोजन
	ग - एसएलबीसी बैठकों के लिए कार्यसूची (एजेंडा)
	घ - बैंकिंग पहुंच
	ड. - एसएलबीसी – बैठकों का वार्षिक कैलेंडर
	च - एसएलबीसी वेबसाइट - सूचना / डेटा का मानकीकरण
	छ - राज्य सरकार से सम्पर्क
	ज - क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण/ सेंसीटाइजेशन कार्यक्रम
8	बैंक-रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए रोडमैप
9	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
10	ऋण - जमा अनुपात
	क - ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात
	ख - सीडी अनुपात पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का कार्यान्वयन
11	भारिबैं द्वारा एलबीएस की निगरानी - निगरानी सूचना प्रणाली (एमआईएस)
12	वित्तीय समावेशन प्लान की मॉनिटरिंग (एफआईपी) - राज्य और जिला स्तर
13	2000 से कम आबादी वाले बैंक-रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रोडमैप की निगरानी

1. प्रस्तावना

(i) अग्रणी बैंक की योजना का प्रारंभ प्रो. डी.आर.गाडगिल की अध्यक्षता में सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गठित अध्ययन दल (गाडगिल अध्ययन दल) के साथ हुआ है जिसने अक्तूबर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त अध्ययन दल ने इस तथ्य को इंगित किया कि वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और इनके पास अपेक्षित ग्रामीण उन्मुखता का अभाव है। अत: अध्ययन दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण संरचना विकसित करने के लिए प्लान तथा कार्यक्रम बनाने हेतु क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाएं जाने की सिफारिश की।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम पर श्री एफ.के.एफ.नरीमन की अध्यक्षता में गठित समिति (नरीमन समिति) ने अपनी रिपोर्ट में (नवंबर 1969) क्षेत्र दृष्टिकोण की अभिकल्पना का यह सिफारिश करते हुए समर्थन किया कि सरकारी क्षेत्र बैंकों को अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कतिपय ज़िलों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां वे एक अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करेंगे।

(iii) उपर्युक्त सिफ़ारिशों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गई। योजना का उद्देश्य बैंकों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों की गतिविधियों में विभिन्न मंचों के माध्यम से समन्वय लाना है ताकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को बैंक वित्त के प्रवाह में बढ़ोतरी की जा सकें तथा ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंकों की भूमिका को बढ़ावा मिल सके। जिले की गतिविधियों में समन्वयन लाने के लिए एक विशिष्ट बैंक को जिले का अग्रणी बैंक दायित्व सौंपा जाता है। अग्रणी बैंक से अपेक्षित है कि वह ऋण संस्थाओं एवं सरकार के प्रयासों में समन्वयन लाने के लिए नेता की भूमिका अपनाए।

(iv) वित्तीय क्षेत्र में हुए कई सारे परिवर्तनों के मद्देनजर भारतीय रिज़र्व बैंक की उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2009 में अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा की गई।

(v) उक्त उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न पणधारियों अर्थात् राज्य सरकार, बैंक, विकास संस्थाएं, शिक्षाविदों, एनजीओ, एमआईएफआई आदि के साथ व्यापक पैमाने पर चर्चाएं कीं और नोट किया कि उक्त योजना शाखा विस्तार, जमाराशियां जुटाने तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सुधार लाने का मूल्य उद्देश्य प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उक्त योजना को जारी रखने के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। समिति की सिफारिशों के आधार पर एसएलबीसी संयोजक बैंकों तथा अग्रणी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए।

(vi) निजी क्षेत्र बैंकों की बढती भूमिका की परिकल्पना करते हुए अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन में सरकारी क्षेत्र बैंकों का अधिक निकटता से लगा रहना सुनिश्चित करें। निजी क्षेत्र बैंकों को नीतिगत आयोजना में अपनी विशेषज्ञता में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्भाव को बढ़ाते हुए अधिक सक्रिय हो जाना चाहिए। उन्हें जिला ऋण योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन में लग जाना चाहिए।

2. सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एसएए)

i) ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में नियोजनबद्ध एवं सही तरीके से विकास करने के लिए अप्रैल 1989 में शुरू किया गया सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एसएए) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू था। एसएए के अंतर्गत ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हर बैंक

शाखा 15 से 25 गांवों में सेवा देने के लिए पदनामित थी और उक्त शाखा अपने सेवा क्षेत्र की बैंक ऋण जरुरतों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी थी। एसएए का मुख्य उद्देश्य उत्पादक उधार बढ़ाना तथा बैंक ऋण, उत्पादन, उत्पादकता में प्रभावी सहबद्धता एवं आय स्तरों में बढोतरी लाना था। एसएए योजना की समय समय पर समीक्षा की जाती है और योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें यथोचित परिवर्तन किए गए।

ii) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की दिसंबर 2004 में अद्यतन समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि एसएए के सकारात्मक पहलुओं जैसे ऋण आयोजना और ऋण की निगरानी को बनाए रखने के साथ-साथ योजना के प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त किए जाएं। तदनुसार, बैंकों की ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के बीच गांवों का आबंटन उधार देने के लिए, एसएए के अंतर्गत सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर लागू नहीं था। इस प्रकार जहां वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी भी ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्र में ऋण देने के लिए स्वतंत्र हैं, वहीं उधारकर्ताओं को अपनी ऋण जरुरतों के लिए किसी भी शाखा से संपर्क करने का विकल्प प्राप्त है। अत: गैर-सेवा शाखा द्वारा उधार देने हेतु सेवा शाखा से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तथापि, बैंक अपने विवेक पर बहुविध वित्तपोषण से बचने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। चूंकि दिसंबर 2004 में सेवा क्षेत्र के प्रतिबंधात्मक प्रावधान हटा दिए गए हैं, अत: सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण केवल सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए ही लागू है।

3. <u>अग्रणी बैंक दायित्व</u>

क. अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना

i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1969 से अग्रणी बैंक योजना कार्यान्वित की जा रही है। नामित बैंकों को अग्रणी बैंक दायित्व सौंपने का कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है जिसमें इस प्रयोजन के लिए बनाई गई विस्तृत कार्यविधि अपनाई जाती है। 30 जून 2014 को देश के 671 ज़िलों में 25 सरकारी क्षेत्र बैंकों और एक निजी क्षेत्र बैंकों को अग्रणी बैंक दायित्व सौंपा गया है।

ii) अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत राज्य/संघशासित क्षेत्र स्तर पर एक शिखर स्तरीय मंच के रूप में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी), संघशासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) राज्य/संघ शासित क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं और सरकारी विभागों की गतिविधियों का समन्वयन करती है। 30 जून 2014 को 16 सरकारी क्षेत्र बैंकों और एक निजी क्षेत्र बैंक को 29 राज्यों और 7 संघशासित क्षेत्रों का एसएलबीसी/यूटीएलबीसी संयोजकत्व सौंप दिया गया है। राज्य वार एसएलबीसी संयोजक बैंकों और जिलावार अग्रणी बैंकों की सूची अनुबंध-I में दी गई है।

ख. महानगरीय क्षेत्रों के जिलों में अग्रणी बैंक दायित्व का आबंटन

अग्रणी बैंक योजना महानगरीय क्षेत्रों में स्थित जिलों को छोड़कर देश के सभी जिलों पर लागू थी। चूंकि बैंकिंग नेटवर्क की पहुंच ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी उच्च स्तर की थी, अत: महानगरीय क्षेत्रों को अग्रणी बैंक योजना के बाहर रखा गया था। महानगरीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से सुविधाहीन तथा न्यून आय समूहों के बीच वित्तीय वंचन की व्यापक चुनौती के मद्देनजर तथा शहरी गरीबों के वंचित क्षेत्र को द्वार तक बैंकिंग की सुविधा देने और सरकार तथा बैंकों के बीच

समन्वयन लाने के लिए संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि महानगरीय क्षेत्रों के सभी जिलों को अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लाया जाए। तदनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान चैन्नै (1), दिल्ली (11), हैदराबाद (1), कोलकाता (1), मुंबई (2) के महानगरीय क्षेत्रों के 16 जिलों को अग्रणी बैंक योजना दायित्व सौंपा गया और उन्हें अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लाया गया। इस प्रकार, वर्तमान में, समूचा देश अग्रणी बैंक योजना की परिधि में है।

4. अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन

क. क्रेडिट प्लान तैयार करना

अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन में आयोजना (प्लानिंग) की महत्वपूर्ण भूमिका है और विकास के लिए विद्यमान क्षमता का पता लगाने (मैपिंग) के लिए नीचे से ऊपर (बॉटम-अप) दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत प्लानिंग की शुरुआत विभिन्न सेक्टरों के लिए अनुमानित ब्लॉकवार/गतिविधि वार क्षमता की पहचान के साथ होती है।

ख. क्षमता संबद्ध क्रेडिट प्लान (पीएलपी)

i) क्षमता संबद्ध क्रेडिट प्लान (पीएलपी) बैंक ऋण के माध्यम से विकास की विद्यमान संभावना क्षमता का पता लगाने के मूल उद्देश्य के साथ क्रेडिट प्लानिंग को विकेंद्रित करने प्रति उठाया गया एक कदम है। पीएलपी में दीर्घावधिक भौतिक क्षमता बुनियादी संरचना समर्थन की उपलब्धता विपणन सुविधाओं तथा सरकार की नीतियों / कार्यक्रमों आदि को ध्यान में रखा जाता है।

ii) एलडीएम द्वारा हर वर्ष जून के दौरान आयोजित पीएलपी-पूर्व बैठक में बैंकों, सरकारी एजेंसियों, आदि को उपस्थित रहना है जिसमें क्रेडिट क्षमता (सेक्टरवार/ गतिविधि वार) संबंधी चिंताओं पर उनके विचार व्यक्त किए जाने तथा पूर्ववर्ती वर्ष में जिले की प्रमुख वित्तीय तथा सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाए। इस बैठक में, नाबार्ड के डीडीएम आगामी ऋण का पीएलपी तैयार करने हेतु सूचना संबंधी प्रमुख आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेगा। आगामी वर्ष का पीएलपी तैयार करने का कार्य हर वर्ष अगस्त तक पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार इसे पीएलपी अनुमानों में विभाजित (फैक्टर) कर सकें।

iii) जिला क्रेडिट प्लान तैयार करने की कार्यविधि निम्नानुसार है :-

क) वाणिज्य बैंकों के नियंत्रक कार्यालय तथा आरआरबी और डीसीसीबी/एलडीबी का प्रधान कार्यालय अपनी सभी शाखाओं को उनके संबंधित शाखा प्रबंधकों द्वारा शाखा क्रेडिट प्लान (बीसीपी) तैयार करने के लिए स्वीकार की गई ब्लॉकवार/गतिविधिवार संभावना परिचालित करेंगे। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शाखाओं द्वारा शाखा/ब्लॉक प्लान समय पर पूरे किए जाते हैं, ताकि क्रेडिट प्लान समय पर परिचालन में आ सके।

ख) हर ब्लाक के लिए एक विशेष ब्लाक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी) आयोजित की जाएगी जहां शाखा क्रेडिट प्लान पर चर्चा की जाएगी और इन्हें ब्लॉक क्रेडिट प्लान बनाने के लिए जोड़ दिया जाएगा। डीडीएम और एलडीएम यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्लॉक क्रेडिट प्लान सरकार प्रायोजित योजनाओं संबंधी संभावनाओं समेत पहचानी गई गतिविधिवार संभावनाओं के अनुरूप है, बीएलबीसी के प्लान को अंतिम रूप देने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

ग) एलडीएम द्वारा जिला क्रेडिट प्लान बनाने के लिए जिले के सभी ब्लॉक क्रेडिट प्लानों को जोड़ लिया जाएगा। उक्त प्लान जिले की ऋण जरूरतों का विश्लेषणात्मक निर्धारण इंगित करता है जिसे जिले में कार्यरत सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनियोजित किया जाएगा और निधियों की कुल मात्रा नए वित्तीय वर्ष के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में निश्चित की जानी है। बैंकों के आंचलिक / नियंत्रक कार्यालय वर्ष के लिए अपने व्यवसाय प्लान को अंतिम रूप देते समय डीसीपी में की गई प्रतिबद्धताओं को हिसाब में लेंगे जोकि कार्यनिष्पादन बजटों को अंतिम रूप देने से काफ़ी पहले तैयार रखी जानी चाहिए।

घ) अग्रणी जिला प्रबंधक जिला क्रेडिट प्लान अंतिम स्वीकरण/अनुमोदन के लिए डीसीसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सभी जिला क्रेडिट प्लान अंतत: राज्य स्तरीय क्रेडिट प्लान में जोड़ दिए जाएंगे जो एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा तैयार किया जाएगा और हर वर्ष पहली अप्रैल तक प्रक्षेपित किया जाएगा।

ग. क्रेडिट प्लान के कार्यनिष्पादन की निगरानी

क्रेडिट प्लान के कार्यनिष्पादन समीक्षा की नीचे दर्शाए गए अनुसार अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत निर्मित विभिन्न मंचों पर की जाएगी:

ब्लॉक स्तर पर	ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी)
जिला स्तर पर	जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी)
राज्य स्तर पर	राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)

5. ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी)

बीएलबीसी एक ऐसा मंच है जो एक ओर ऋण संस्थाओं और दूसरी ओर फील्ड स्तरीय विकास एजेंसियों के बीच समन्वयन लाने के लिए है। उक्त मंच ब्लाक क्रेडिट प्लान तैयार करता है और बैंकों के क्रेडिट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आनेवाली समस्याओं का निराकरण भी करता है। जिले का अग्रणी जिला प्रबंधक ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति का अध्यक्ष होता है। जिला सहकारी बैंकों और आरआरबी समेत सभी बैंक, ब्लाक विकास अधिकारी, ब्लाक के तकनीकी अधिकारी जैसे कृषि, उद्योग एवं सहकारिता के लिए विस्तार अधिकारी समिति के सदस्य होते हैं। बीएलबीसी की बैठकें तिमाही अंतराल पर होती हैं। रिज़र्व बैंक के एलडीओ तथा नाबार्ड के डीडीएम चयनात्मक रूप से बीएलबीसी में उपस्थित रहते हैं। छमाही अंतराल पर इन बैठकों में पंचायत समिति के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि क्रेडिट प्लानिंग के कार्य में ग्रामीण विकास पर उनके ज्ञान तथा अनुभव को शेयर किया जा सके।

6. जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी)

क. डीसीसी का गठन

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में गतिविधियों के समन्वयन के प्रति बैंकरों तथा सरकारी एजेंसियों / विभागों के लिए जिला स्तर पर सामान्य मंच के रूप में वर्ष आठवें दशक में डीसीसी का गठन किया गया था। जिलाधीश डीसीसी के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय

रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, जिले के सभी वाणिज्यिक बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) सहित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विभिन्न राज्य सरकारी विभाग एवं संबद्ध एजेंसियां डीसीसी के सदस्य होते हैं। अग्रणी जिला अधिकारी (एलडीओ) डीसीसी के सदस्य के रूप में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। अग्रणी जिला प्रबंधक डीसीसी की बैठकें आयोजित करता है। उन जिलों में जहां एमएसएमई क्लस्टर होते हैं माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान के निदेशक (एमएसएमई-डीआई) एमएसएमई संबंधी मामलों की चर्चा करने के लिए आमंत्रिती के रूप में होते हैं।

ख. डीसीसी बैठकों का आयोजन

i) अग्रणी बैंकों द्वारा जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठक वर्तमान अनुदेशों के अनुसार त्रैमसिक अंतराल पर आयोजित की जाए।

ii) जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) स्तर पर, विशिष्ट मुद्दों पर गहन कार्य करने हेतु जैसा भी उचित हो, उप समितियां गठित की जाए तथा डीसीसी के विचारार्थ रिपोर्टें प्रस्तुत की जाए।

iii) डीसीसी उन मामलों पर एसएलबीसी को पर्याप्त फीडबैक दें जिस पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करना आवश्यक है तकि राज्य स्तर पर इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

ग. डीसीसी बैठकों की कार्यसूची

जहां सभी अग्रणी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित राज्य की विशेष समस्याओं को हल करें, तथापि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो सभी जिलों के लिए समान हैं और जिन पर अग्रणी बैंकों को अपने मंच पर निरपवाद रूप से विचार-विमर्श करना चाहिए, निम्नानुसार हैं :

i) निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रोड-मैप की प्राप्ति में हुई प्रगति का आवधिक रूप से मूल्यांकन हेतु निगरानी तंत्र। तीन वर्षीय अवधि के लिए जिले के लिए एलबीएस-एमआईएस-IV फार्मेट में जिलावार वित्तीय समावेशन प्लान (एफआईपी) तैयार करना। एफआईपी के अंतर्गत प्रगति की एसएलबीसी को त्रैमासिक प्रस्तुति हेतु समीक्षा एलबीएस-एमआइएस-V फार्मेट में की जानी चाहिए।

ii) आइटी आधरित वित्तीय समावेशन को रोकने और समर्थ बनाने वाले विशिष्ट मुद्दे

iii) सर्व-समावेशी वृद्धि के लिए बैंकिंग विकास हेतु "सक्षमकों" (इनेबलर्स) को सुविधा प्रदान करना तथा "बाधकों" को हटाने / कम करने के मामले

iv) बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा "क्रेडिट प्लस" कार्यकलाप उपलब्ध कराने जैसे कि वित्तीय साक्षरता केद्रों (एफएलसी) के गठन और कारोबार प्रबंधन हेतु कौशल और क्षमता-निर्माण प्रदान कराने के लिए आरसेटी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, के लिए की गई पहल की निगरानी

v) वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता प्रयास बढ़ाना

vi) जिला ऋण योजना (डीसीपी) के अंतर्गत बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

vii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराना

viii) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता

ix) शैक्षिक ऋण प्रदान करना

x) एसएचजी - बैंक सहलग्नता के अंतर्गत प्रगति

xi) एसएमई वित्त पोषण तथा उसके मार्गावरोध, यदि कोई हो

xii) बैंकों द्वारा समय पर डाटा प्रस्तुत करना

xiii) राहत उपायों की समीक्षा (जहां भी लागू हो प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में)

उपर्युक्त सूची उदाहरणात्मक है, परिपूर्ण नहीं। अग्रणी बैंक आवश्यक समझी जानेवाली अन्य किसी कार्यसूची मद को शामिल कर सकते हैं।

घ. एलडीएम की भूमिका

चूंकि अग्रणी बैंक योजना की कारगरता जिलाधीश और एलडीएम की गतिशीलता तथा क्षेत्रीय / अंचल कार्यालय की सहायक भूमिका पर निर्भर करती है, अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) के कार्यालय अग्रणी बैंक योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु केंद्र बिन्दु होने के कारण उसे उचित मूलभूत सुविधाओं के साथ पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जाए। उचित स्तर और प्रवृत्ति वाले अधिकरियों को एलडीएम के रूप में तैनात किया जाए। एलडीएम की प्रचलित भूमिका जैसेकि डीसीसी / डीएलआरसी की बैठके, लंबित मामले अदि के समाधान हेतु डीडीएम/एलडीओ/सरकारी अधिकरियों की आवधिक बैठकें आयोजित करना, एलडीएम द्वारा विचार करने योग्य नए कार्यों में निम्नलिखित शमिल हैं :

i) बैंकिंग पहुँच के लिए रूपरेखा तैयार करना

ii) जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी

iii) बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्र, आरसेटी गठित करने में संबद्ध होना

iv) एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता के कैम्प आयोजित करने में संबद्ध होना

v) एनजीओ / पंचायती राज संस्था (पीआरआई) की सहभगिता के साथ बैंकों और सरकारी अधिकरियों के लिए वार्षिक सुग्राहीकरण कार्यशाला आयोजित करना

vi) तिमाही जागरुकता तथा सार्वजनिक बैठकों में फीडबैक, शिकायत निवारण आदि की व्यवस्था करना।

ड.) तिमाही सार्वजनिक बैठक और शिकायत निवारण

अग्रणी जिला प्रबंधक जिले के विभिन्न स्थानों पर रिज़र्व बैंक के एलडीओ, क्षेत्र में स्थित बैंकों और अन्य स्टेकधारियों के साथ समन्वयन से एक तिमाही सार्वजनिक बैठक आयोजित करें ताकि ऐसी बैठकों में आम जनता से संबंधित विभिन्न बैंकिंग नीतियों और विनियमों के बारे में जागरूकता निर्मित हो, जनता से फीडबैक प्राप्त किया जा सके और यथासंभव शिकायत निवारण उपलब्ध हो सके अथवा ऐसे निवारण के लिए उचित तंत्र से संपर्क करने में सुविधा हो।

च) जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकें

डीएलआरसी की बैठकों की अध्यक्षता जिलाधीश द्वारा की जाती है और इसमें जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के सदस्य उपस्थित रहते हैं। उपर्युक्त के अलावा जनता के प्रतिनिधि अर्थात स्थानीय एमपी/एमएलए/जिला परिषद प्रमुखों को भी इन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। डीएलआरसी बैठकों में अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा फीड बैक प्राप्त करते हुए की जाती हे ताकि जिले मे चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की गति एवं गुणवत्ता का पता किया जा सके। इस कारण गैर अधिकारियों की संबद्धता उपयोगी पायी गई। अग्रणी बैंकों से अपेक्षित है कि वे जहां तक हो से डीएलआरसी बैठकों में जनता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। अत: अग्रणी बैंकों को चाहिए कि वे डीएलआरसी की तारीखें जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् एमपी/ एमएलए आदि की सुविधा को तरजीह देते हुए करें और उन्हें जिले में बैंकों द्वारा किए जानेवाले सभी समारोह में जेसे नयी शाखाएं खोलना, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, एसएचजी सहबद्धता कार्यक्रम आदि में उन्हें आमंत्रित करें और उन्हें शामिल कर लें। जनता के प्रतिनिधियों के प्रश्नों पर प्रतिकिया देने में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है और इन पर तत्परता से कार्रवाई की जानी है। डीएलआरसी के निर्णयों के अनुपालन पर डीसीसी की बैठकों में चर्चा करना आवश्यक है।

छ) डीसीसी/डीएलआरसी बैठकें - बेठकों का वार्षिक कैलेंडर

i) विकासात्मक गतिविधियों में बाधक समस्याओं की समीक्षा करने तथा उनका हल ढूंढने के लिए जिला स्तर पर वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी एजेंसियों और जिला स्तर के अन्यों के बीच डीसीसी और डीएलआरसी एक महत्वपूर्ण समन्वयनकारी मंच होते हैं। अत: यह आवश्यक है कि उपर्युक्त बैठकों में सभी सदस्य सहभागी हो और चर्चा में भाग लें। डीसीसी / डीएलआरसी की बैठकों की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि बैठक की तारीख विलम्ब से प्राप्त होने सूचना प्राप्त न होने, अन्य इवेंटों की ओर ये तारीखें एक ही हो जाने, तारीखें एक जैसी होने आदि के कारण इन बैठकों में सदस्यों के सहभाग में बाधा आती है; इस प्रकार, उपर्युक्त बैठकें आयाजित करने का मूल उद्देश्य बाधित हो जाता है।

ii) अत: अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया कि वे सभी जिलों के लिए कैलेंडर वर्ष के आधार पर बैठकों के अध्यक्षों, रिज़र्व बैंक के एलडीओ और डीएलआरसी के मामले में जनता के प्रतिनिधि के परामर्श से डीसीसी और डीएलआरसी का वार्षिक कार्यक्रम (शेड्यूल) तैयार करें। उक्त वार्षिक कैलेंडर -

हर वर्ष, वर्ष के प्रारंभ में ही तैयार किया जाए तथा डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अग्रिम रूप में भावी तारीखें ब्लाक करने हेतु सदस्यों के बीच परिचालित किया जाए और बैठकें कैलेंडर के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। कैलेंडर तैयार करते समय यह देखा जाए कि डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठकें एक ही साथ आयोजित **नहीं** की जाती है।

7. राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)

क. एसएलबीसी का गठन

i) राज्य के विकास के लिए एक समान आधार पर सभी राज्यों में पर्याप्त समन्वयनकारी तंत्र निर्मित करने के लिए एक शिखर अंतर संस्था गत मंच के रूप में अप्रैल1977 में राज्य स्तरीय बैंकर समिति स्थापित की गई थी। संयोजक बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) / संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक एसएलबीसी के अध्यक्ष होते हैं। उसमें वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, अनुसूचित जाति/ जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि के प्रतिनिधियों समेत सरकारी विभागों के प्रमुख तथा राज्य में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो एकत्रित होकर नीति के कार्यान्वयन स्तर पर समन्वयन की समस्या को हल करते हैं। यदि कोई विशिष्ट समस्या हो तो, उस पर चर्चा के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न संगठनों जैसे पुटकर व्यापारी, निर्यातक एवं कृषक यूनियन आदि के प्रतिनिधि एसएलबीसी बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में होते हैं। एसएलबीसी की बैठकें तिमाही आधार पर होती हैं। एसएलबीसी की बैठकें आयोजित करने का दायित्व राज्य के एसएलबीसी संयोजक बैंक का होता है।

ii) इस बात को मानते हुए कि एसएलबीसी मुख्य रूप से ऐसी राज्य स्तरीय बैंकर समिति है जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों के आयोजन पर निदर्शात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

ख. एसएलबीसी बैठकों का आयोजन

i) एसएलबीसी बैठकें त्रैमसिक अंतरालों पर नियमित रूप से होनी चहिए। एसएलबीसी बैठकों की अध्यक्षता संयोजक बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) / संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक द्वारा की जानी चहिए तथा उसकी सह-अध्यक्षता संबंधित राज्य के अपर मुख्य सचिव या विकास आयुक्त द्वारा की जानी चहिए। एसएलबीसी / यूटीएलबीसी बैठकों में उच्च स्तरीय अधिकारियों की सहभागिता से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों की सार्वजनिक नीति संबंधी विषयों पर सार्थक चर्चा के साथ प्रभावी और अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित होते हैं।

ii) मुख्यमंत्री / वित्त मंत्री तथा राज्य / रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी (उप गवर्नर/ कार्यपालक निदेशक की श्रेणी के) को एसएलबीसी बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, राज्य के मुख्यमंत्रियों को वर्ष में कम से कम एक बार एक एसएलबीसी बैठक में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

iii) एसएलबीसी की बृहत् सदस्यता को देखते हुए, एसएलबीसी के लिए यह वांछनीय होगा कि वे कृषि, माइक्रो, लघु/मध्यम उद्योगों/उद्यमों, हथकरघा वित्त, निर्यात संवर्द्धन और वित्तीय समावेशन आदि जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए संचालन (स्टीयरिंग) उप-समितियों का गठन करें। उक्त उप-समितियां इन विशिष्ट कार्यों की गहराई से जांच करें तथा पूर्ण समिति के विचारार्थ उपायों / सिफारिशें तैयार करें। इससे एसएलबीसी से अधिक बारंबारता से बैठकें करने की आशा है। उप-समिति की रचना तथा वित्तीय समावेशन के समीपस्थ / सुसाध्यकारी विचारणीय विषय/ विशिष्ट मुद्दे, राज्यों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के आधार पर राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

iv) एसएलबीसी के सचिवालय / कार्यालयों को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाए ताकि एसएलबीसी संयोजक बैंक अपने कार्य कारगर रूप से कर सकें।

v) निम्न स्तर के विभिन्न मंच उन मामलों पर एसएलबीसी को पर्याप्त फीड-बैक दें जिस पर एक व्यापक मंच पर विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

vi) विभिन्न संस्थाएं तथा शिक्षाविद ऐसे अनुसंधान और अध्ययन आदि कर रहे हैं जो कृषि और एमएसएमई क्षेत्र के धारणीय विकास के लिए प्रभावकारी हैं। ऐसी अनुसंधान संस्थाओं तथा शिक्षाविदों की संबद्धता अग्रणी बैंक योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में गति लाने हेतु नए विचार लाने में उपयोगी होगी। अतः एसएलबीसी ऐसे शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं का चयन करें और उन्हें समय-समय पर एसएलबीसी की बैठकों में "विशेष अतिथि" के रूप में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित करें तकि वे चर्चा को और सार्थक बना सकें और उन्हें राज्य के लिए उपयुक्त उत्पाद प्रतिपादन हेतु अध्ययन में सहभागी बनाएं। अन्य "विशेष अतिथियों" को बैठकों में चर्चा की जानेवाली कार्यसूची मदों / मामलों के आधार पर एसएलबीसी बैठकों में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जाए।

vii) आनेवाले वर्षों में न्यून आय वाले परिवारों को सुगम ऋण मुहैया कराने में एनजीओ के कार्यकलाप बढ़ने के आसार हैं। कई कार्पोरेट प्रतिष्ठान भी दीर्घकालिक विकास के लिए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनजीओ/कार्पोरेट आवश्यक "क्रेडिट प्लस" सेवाएं प्रदान करते हैं, क्षेत्र में परिचालित ऐसे एनजीओ/कार्पोरेट प्रतिष्ठानों के साथ बैंक की सहलग्नता, समावेशी वृद्धि हेतु बैंक ऋण को वृद्धिंगत करने में सहायक हो सकती है। सफल वार्ताओं को एसएलबीसी की बैठकों में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि मॉडेल के रूप में उनका अनुसरण किया जा सके।

ग. एसएलबीसी बैठकों की कार्यसूची

जबकि सभी एसएलबीसी से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित राज्य की विशेष समस्याओं को हल करें, तथापि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो सभी राज्यों के लिए समान हैं और जिन

पर एसएलबीसी को अपने मंच पर निरपवाद रुप से विचार-विमर्श करना चहिए, वे निम्नानुसार हैं :

i) निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रोडमैप की प्राप्ति में हुई प्रगति के आवधिक रूप से मूल्यांकन हेतु वित्तीय समावेशन - निगरानी तंत्र। एलबीएस-एमआइएस-IV फार्मेट में तीन वर्षीय अवधि के लिए राज्यवार वित्तीय समावेशन प्लान संकलित करना और समेकित करना। रिज़र्व बैंक को त्रैमासिक रुप में प्रस्तुत करने के लिए एलबीएस-एमआइएस-V फार्मेट में एफआईपी की प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए।

ii) आइटी आधारित वित्तीय समावेशन को रोकने और समर्थ बनाने वाले विशिष्ट मुद्दे

iii) समावेशी वृद्धि के लिए बैंकिंग विकास हेतु "सक्षमकों" (इनेबलर्स) को सुविधा प्रदान करना तथा "बाधकों" को हटाने / कम करने के मामले

iv) बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा "क्रेडिट प्लस" कार्यकलापों के लिए की गई पहल की निगरानी जैसे कि कारोबार प्रबंधन हेतु कौशल और क्षमता-निर्माण प्रदान कराने के लिए वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और आरसेटी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों का गठन

v) वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता प्रयास बढ़ाना

vi) वार्षिक ऋण प्लान (एसीपी) के अंतर्गत बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

vii) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के ऋण अभिनियोजन में क्षेत्रीय असंतुलन

viii) राज्य का ऋण - जमा अनुपात

ix) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराना

x) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता

xi) शैक्षिक ऋण प्रदान करना

xii) एसएचजी-बैंक सहलग्नता के अंतर्गत प्रगति

xiii) एमएसएमई क्षेत्र को होनेवाली समस्याओं की चर्चा करना

xiv) भूमि रिकार्ड तथा वसूली तंत्र को सुधारने हेतु किए गए उपाय

xv. बैंकों द्वारा समय पर डाटा प्रस्तुत करना

xvi) राहत उपायों की समीक्षा (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में जहां भी लागू हो) तथा
xvii) डीसीसी/डीएलआरसी बैठकों में सुलझाए न गए मामले

उपर्युक्त सूची उदाहरणात्मक है, परिपूर्ण नहीं। एसएलबीसी संयोजक बैंक आवश्यक समझी जानेवाली अन्य किसी कार्यसूची मद को शामिल कर सकता है।

घ. बैंकिंग पहुँच

i) पिछले कुछ वर्षों में अग्रणी बैंक योजना का ध्यान बदलकर समावेशी वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन पर आ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं बिचौलिओं के प्रयोग से बैंक वहनीय लागत पर आउटरीच बैंकिंग सेवाओं की मात्रा तथा गहराई में वृद्धि करने में सक्षम हो गए हैं।

ii) एसएलबीसी संयोजक बैंकों / अग्रणी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच के माध्यम से शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करें। यह जरूरी नहीं कि ऐसी बैंकिंग सेवाएं इमारती शाखा के माध्यम से ही प्रदान की जाएं बल्कि वे बीसी सहित आइसीटी आधारित मॉडलों के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं। तथापि, वाणिज्य बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन प्राप्त न करने के लिए आइसीटी कनेक्टिविटी बाधक नहीं होनी चाहिए।

iii) जहां औपचारिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा पहुँच की जरुरत है वहां सभी केंद्रों में बैंकिंग विस्तार सुनिश्चित करने हेतु एसएलबीसी संयोजक बैंक रोड / डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रेरक कानून और व्यवस्था की स्थिति, बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा पर्याप्त सुरक्षा आदि से संबंधित बाधाओं को राज्य सरकारों के पास उठाएं। तथापि, इससे वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत में रूकावट नहीं आनी चाहिए।

ङ. एसएलबीसी - बैठकों का वार्षिक कैलेंडर

i) एसएलबीसी / यूटीएलबीसी बैठकों की कारगरता में वृध्दि करने और उनकी कार्यप्रणाली को सरल बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एसएलबीसी-संयोजक बैंक बैठकें आयोजित करने हेतु वर्ष के शुरूआत में ही कार्यक्रम का एक वार्षिक कैलेंडर (कैलेंडर वर्ष आधारित) तैयार करें। कार्यक्रम के कैलेंडर में, एसएलबीसी को आँकड़े प्रस्तुत करने की तथा एसएलबीसी संयोजक द्वारा उसकी स्वीकृति की अंतिम तारीखें स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए । यह वार्षिक कैलेंडर सभी संबंधितों को पूर्व सूचना के रूप में परिचालित किया जाए ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की आगामी तारीखें ब्लॉक की जा सकें। एसएलबीसी/यूटीएलबीसी की बैठकें हर परिस्थिति में कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए। चूककर्ता बैंकों से ब्योरे की प्रतीक्षा किए बिना कार्यसूची भी पहले ही परिचालित की जानी चाहिए। परंतु, एसएलबीसी बैठक में चूककर्ता बैंकों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त एसएलबीसी संयोजक बैंक को इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करते हुए नियंत्रक कार्यालय को एक पत्र लिखना चाहिए। तथापि, एसएलबीसी संयोजक बैंक समय पर ब्योरा प्रस्तुतीकरण हेतु बैंकों के साथ संपर्क बनाए रखना जारी रखेगा। यदि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या अन्य वरिष्ठतम पदाधिकारी किसी असाधारण अवसर पर एसएलबीसी में उपस्थित नहीं हो पाते, तो यदि वे इच्छुक हों तो एक विशेष एसएलबीसी बैठक आयोजित की जा सकती है।

कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करने में निम्नलिखित स्थूल दिशा-निर्देशों का प्रयोग किया जाना चाहिए :

कार्यकलाप	(दिनांक ----------) **तक समाप्ति**
एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों और सभी संबंधितों को आँकड़े प्रस्तुत करने और बैठकों की तारीख सूचित करने का नीचे दी हुई तारीखों के अनुसार कैलेंडर तैयार करना	प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी
बैठक की सही तारीख तथा एसएलबीसी को बैंकों द्वारा आँकड़े प्रस्तुत करने संबंधी अनुस्मारक	तिमाही की समाप्ति के पूर्व 15 दिन
एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा जानकारी/ आँकड़े प्राप्त करने की अंतिम तिथि	तिमाही की समाप्ति से 15 दिन
कार्यसूची – बैकग्राउंड पेपर का वितरण	तिमाही की समाप्ति से 20 दिन
बैठक का आयोजन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर
सभी हितधारकों को बैठक के कार्य विवरण का प्रेषण	बैठक के आयोजन से 10 दिनों के भीतर
बैठक से उभरे कार्य-बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई	कार्यविवरण प्रेषित करने से 30 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाए (अगली बैठक में समीक्षा हेतु)

(ii) वर्ष के प्रारंभ में बैठकों का कैलेंडर तैयार करने का उद्देश्य सभी स्टेकधारियों को इन बैठकों की पर्याप्त नोटिस देना तथा कार्यसूची के कागज़ात के समय पर संकलन एवं प्रेषण को सुनिश्चित करना है। इसमें सहभागी होनेवाले बैंकों और सरकारी विभागों द्वारा एसएलबीसी संयोजकों को डाटा प्रस्तुत करने के लिए सुस्पष्ट दिशानिर्देश देना भी सुनिश्चित होता है। इसमें एसएलबीसी संयोजकों के अन्यथा विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारियों से एसएलबीसी बैठकों में उपस्थित रहने के लिए समय लेने में व्यर्थ जानेवाला समय भी बचता है।

(iii) एसएलबीसी संयोजक बैंकों को वार्षिक कैलेंडरों के सुनिश्चित पालन करने के लाभ समझ लेना चाहिए। अत: एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक कैलेंडर का व्यापक प्रचार करें और सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालयों द्वारा सभी बैठकों के लिए बैठक में उपस्थित रहने के लिए प्रत्याशित वरिष्ठ पदाधिकारियों की तारीखें ब्लॉक कर ली गई हैं। यदि, तारीखें ब्लॉक करने के बावजूद किसी कारणवश वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहने में असमर्थ हो तो बैठक कैलेंडर में की गई आयोजना के अनुसार की जानी चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कैलेंडर में निर्धारित अंतिम तारीख तक इन बैठकों में समीक्षार्थ डाटा पहुंच जाना चाहिए और समय पर डाटा प्रस्तुत न करनेवालों से डाटा भेजने में विलंब के कारण स्पष्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कैलेंडर के अनुसार कार्यसूची तैयार करने के लिए निर्धारित तारीखों से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए।

छ. एसएलबीसी वेबसाइट - सूचना/ डाटा का मानकीकरण

एसएलबीसी संयोजक बैंकों से एसएलबीसी वेबसाइट बनाए रखना अपेक्षित है जो एलबीएस एवं सरकार प्रायोजित योजनाओं संबंधी सभी अनुदेश उपलब्ध हो और बैठकों के संचालन तथा राज्यवार/बैंकवार कार्यनिष्पादन से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के इच्छुक आम आदमी की पहुंच में हो। एसएलबीसी वेबसाइट पर उपलब्ध की जानेवाली उक्त सूचना एवं डाटा का मानकीकरण करने की दृष्टि से सूचना और डाटा की निदर्शी सूची अनुबंध II में दी गई है। एसएलबीसी को चाहिए कि वह अपने बैंक की एसएलबीसी वेबसाइटों पर न्यूनतम निर्धारित जानकारी रखने तथा उसे नियमित रूप से, कम से कम तिमाही आधार पर, अद्यतन करने की व्यवस्था करें। बैंक यह नोट करें कि उक्त सूची केवल निदर्शी स्वरूप की है और एसएलबीसी इसमें उस राज्य के संबंध में संगत कोई भी अतिरिक्त सूचना डाल सकते हैं।

ज. राज्य सरकार से संपर्क

एसएलबीसी संयोजक बैंकों से अपेक्षित है कि वे राज्य के सभी बैंकों की गतिविधियों को समन्वित करें, उधार देने, बैंकिंग विकास के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने तथा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्त करने में होनेवाली परिचालनगत समस्याओं पर चर्चा करें।

झ. क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण / सेंसीटाइजेशन कार्यक्रम

i) बैंकों तथा आम तौर पर बैंकिंग तथा साथ ही, अग्रणी बैंक योजना की विशिष्ट व्याप्ति एवं भूमिका पर जिलाधीशों और जिला परिषदों के सीईओ को सेंसीटाइज करने की जरुरत है। प्रत्येक राज्य में हर वर्ष अप्रैल/ मई में एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाए ऐसे सेंसीटाइजेशन इन अधिकारियों के परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनरी) प्रशिक्षण का एक भाग होना चाहिए। साथ ही, जैसे उन्हें किसी जिले में तैनात किया जाए, एसएलबीसी को जिलाधीशों की एसएलबीसी संयोजक कार्यालय में सेंसीटाइजेशन एवं अग्रणी बैंक योजना को समझने के लिए एक एक्सपोजर यात्रा आयोजित करनी चाहिए।

ii) बैंकों के परिचालन स्तर के स्टाफ और अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध सरकारी एजेंसियों के स्टाफ के लिए अद्यतन गतिविधियों और उभरते अवसरों की जानकारी पाना जरुरी है। स्टाफ सेंसीटाइजेशन/प्रशिक्षण/सेमीनार, आदि आवधिक अंतरालों पर सतत चलाते रहने की जरुरत है।

8. बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने का रोडमैप

i) उच्च स्तरीय समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाते हुए शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करना थी, देश के बैंक रहित गांवों में द्वार तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है। नवंबर 2009 में चरण - I के अंतर्गत 2000 से अधिक आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए रोडमैप तैयार करने के दिशानिर्देश जारी किए गए। चरण-I को मार्च 2012 तक सफलतापूर्वक लागू करने के

बाद 2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी रोडमैप जून 2012 में लागू किया गया।

(ii) एसएलबीसी संयोजक बैंकों को यह सूचित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए कि वे देश के 2000 से कम आबादीवाले बैंक रहित गांवों को शामिल करते हुए एक चरणबद्ध रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रोडमैप बनाएं। एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया कि देश के शेष सभी बैंक रहित गांवों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रोडमैप तैयार किया जाना है और बैंकों को गांव आबंटित किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि सभी डीबीटी लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य देश के हर परिवार/व्यक्ति को एक बैंक खाता उपलब्ध कराने का है। प्रारंभ में, बैंकों को डीबीटी लाभार्थियों को मनरेगा वेतन एवं विभिन्न नकदी लाभ सहित सभी राज्य लाभों को बैंक खातों में सीधे जमा करते हुए अंतरित करने का कार्य सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से द्वार तक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचित किया गया है जो बीसी द्वारा आबंटित गांवों को नियमित तथा एक समयावधि में दौरे, सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं जैसे प्रेषण, आवर्ती जमाराशियां, केसीसी और जीसीसी के रूप में उद्यमी क्रेडिट, बीमा (जीवन एवं जीवनेतर (साधारण) और अन्य बैंकिंग सेवाएं इमारती शाखाओं तथा बीसी नेटवर्क के मिले-जुले रूप में सभी गांववालों को प्रदान की जानी हैं। 2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने संबंधी रोडमैप के अंतर्गत कवरेज कर लेने का कार्य सभी 2000 से से कम आबादीवाले बैंक रहित गांवों में मार्च 2016 तक पूरा किए जाने की आशा है। विभिन्न बैंकों के बीच बैंक रहित गांव आबंटित करने के पीछे निहितार्थ यह सुनिश्चित करना है कि इन गांवों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु कम से कम एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराया गया हो। तथापि, उक्त पहलों के कारण इन क्षेत्रों में किसी अन्य बैंक को परिचालन करने और उपलब्ध व्यवसाय क्षमता के आधार पर बैंकिंग सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करने से नकारा नहीं जाएगा।

9. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

भारत सरकार ने जनवरी 2013 से चुनिंदा जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को लागू किया है। एसएलबीसी संयोजक बैंकों को डीबीटी को कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकारियों के साथ समन्वयन बनाए रखने के लिए सूचित किया गया था। वित्तीय समावेशन /प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के एक भाग के रूप में एसएलबीसी बैठकों में कार्यान्वयन की स्थिति को एक नियमित कार्यसूची मद के रूप में शामिल करने के लिए सूचित किया है। डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए परिलब्धि के रूप में हर पात्र व्यक्ति के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही, आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के माध्यम से द्वार तक वितरण किए जाने के लिए देशभर के सभी गांवों में या तो इमारती शाखाओं अथवा शाखा रहित माध्यम से बैंकिंग आउटलेट होना जरुरी है। इसलिए बैंकों को सूचित किया गया कि :-

- वे सभी डीबीटी जिलों में खाते खोलने तथा उनमें आधार संख्या जोड़ने का कार्य पूरा करें
- लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने में होनेवाली प्रगति की बारीकी से निगरानी करें।

- लाभार्थियों को आधार संख्या जोड़ने के अनुरोध के लिए पावती देने और आधार संख्या जोड़े जाने की पुष्टि भेजने की एक प्रणाली स्थापित करें।
- जिला स्तर पर संबंधित राज्य सरकारी विभाग के साथ डीबीटी कार्यान्वयन समिति बनाएं तथा बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने के कार्य की समीक्षा करें।
- सुनिश्चित करें कि कार्य पर लगाए गए व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के जिला और ग्रामवार नाम तथा अन्य ब्यौरे / बैंक द्वारा की गई अन्य व्यवस्थाएं एसएलबीसी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।
- बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए हर बैंक में एक शिकायत निवारण तंत्र गठित करें तथा हर जिले में एक शिकायत निवारण अधिकारी नामित करें।

10. ऋण-जमा अनुपात

क. ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

बैंकों को अपनी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर अलग से 60 प्रतिशत का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है। जहां उक्त अनुपात अलग-अलग शाखावार, जिलावार अथवा क्षेत्रवार रखना आवश्यक नहीं है, वहां बैंकों को किसी भी बात के होते हुए भी विभिन्न राज्यों / क्षेत्रों के बीच अनुपात में व्यापक असमता से बचना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऋण विनियोजन में क्षेत्रीय असंतुलन कम हो सके। आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव, क्रेडिट को खपा लेने की भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न क्षमता आदि जैसे कारणों के परिणामस्वरूप कतिपय जिलों में क्रेडिट वितरण अत्यल्प रहा है। बैंक ऐसे क्षेत्रों की अपनी शाखाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करें और क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अग्रणी बैंक जिले की अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा डीसीसी मंचों पर उक्त समस्या के सभी पहलुओं पर चर्चा करें।

ख. ऋण-जमा अनुपात पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का कार्यान्वयन

i) भारत सरकार ने राज्यों / क्षेत्रों में न्यून ऋण-जमा (सीडी) अनुपात की समस्या के स्वरूप और मात्रा को देखने तथा इस समस्या के हल का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। विशेषज्ञ दल ने न्यून सीडी अनुपात की समस्याओं एवं कारणों की जांच की। सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बैंकों के सीडी अनुपात की भिन्न स्तरों पर निगरानी की जानी चाहिए।

संस्था / स्तर	**संकेतक**
प्रधान कार्यालय में अलग-अलग बैंक	सीयू + आरआईडीएफ
राज्य स्तर (एसएलबीसी)	सीयू + आरआईडीएफ
जिला स्तर	सीएस

जहां :

सीयू = उपयोगिता के स्थान के अनुसार क्रेडिट

सीएस = मंजूरी के स्थान के अनुसार क्रेडिट

आरआईडीएफ = आरआईडीएफ के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त कुल संसाधन

साथ ही बैंकों को सूचित किया जाता है कि :

- ऋण-जमा अनुपात की निगरानी के लिए 40 प्रतिशत से कम के ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों में डीसीसी की विशेष उप-समितियां (एसएससी) गठित की जाएं ।
- 40 और 60 के बीच के ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों की निगरानी डीसीसी द्वारा वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत की जाएगी, और
- 20 से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों का विशेष तौर से उपचार किए जाने की जरुरत है।

ii) उक्त सीडी अनुपात की निगरानी करने और उक्त सीडी अनुपात को बढ़ाने, निगरानी योग्य कार्रवाई योजना (एमएपी) बनाने के लिए 40 से कम सीडी अनुपात वाले जिलों में डीसीसी की विशेष उप-समिति (एसएससी) गठित की जानी चाहिए। अग्रणी जिला प्रबंधक उक्त एसएससी संयोजक के रूप पदनामित होगा जिसमें उक्त क्षेत्र में कार्यरत बैंकों के ज़िला समन्वयनकर्ता के अलावा रिज़र्व बैंक के एलडीओ, नाबार्ड के डीडीएम, जिला आयोजना अधिकारी अथवा जिला प्रशासन की ओर से निर्णय लेने का विधिवत अधिकार प्राप्त कलक्टर का प्रतिनिधि शामिल होंगे।

विशेष उप-समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे:

- विशेष उप-समिति (एसएससी) अपने जिलों में सीडी अनुपात में स्वस्थापित क्रमिक आधार पर सुधार लाने के लिए निगरानी योग्य कार्रवाई योजना (एमएपी) बनाएंगे।
- इस प्रयोजन के लिए स्थापित होने के तुरंत बाद एसएससी एक विशेष बैठक करेगी तथा आधार स्तरीय विशेष मानदंडों के आधार पर अपने लिए सीडी अनुपात में सुधार लाने के लिए प्रारंभ में चालू वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगी। वह इसी बैठक में सीडी अनुपात को वार्षिक वृद्धि द्वारा 60 से पार ले लाने के लिए एक समयावधि निश्चित करेगी।
- इस प्रक्रिया के पूरे हो जाने के परिणामस्वरूप एसएससी द्वारा स्व-स्थापित लक्ष्य एवं समयावधि को अनुमोदन के लिए डीसीसी के समक्ष रखा जाएगा।
- कार्यान्वयन के लिए प्लान हाथ में लेगी और उसकी दो महीनों में एक बार कठोर निगरानी करेगी।
- डीसीसी को और उनके माध्यम से एसएलबीसी के संयोजक को तिमाही आधार पर प्रगति की रिपोर्ट देगी।
- निगरानी योग्य कार्रवाई प्लान (एमएपी) के कार्यान्वयन में प्रगति के संबंध में डीसीसी से प्राप्त फीडबैक के आधार पर समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे चर्चा/सूचना के लिए एसएलबीसी बैठकों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

iii) जहां तक 20 से कम सीडी अनुपात वाले जिलों का संबंध है, ये आम तौर पहाड़ी, मरुस्थलों, और / या ऐसे स्थानों दुर्गम भूभागों पर होते हैं जो मात्र प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर होनेवाले तथा / या

खराब कानून एवं सुव्यवस्था तंत्र विशेषतावाले होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग प्रणाली और राज्य सरकार एक विशेष सोद्देश्यपूर्ण तरीके से इकट्ठे न हो, पारंपरिक पद्धतियां सफल नहीं हो पाएंगी।

iv) जहां इन जिलों में सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन का ढ़ांचा 40 से कम सीडी अनुपात वाले जिलों के समान होगा (अर्थात् एसएससी का गठन आदि) वहीं ध्यान (फोकस) का प्रमुख केंद्र और प्रयासों का स्तर काफ़ी उच्चतर मात्रा का होना चाहिए।

इसके लिए,

- ऐसे सभी जिलों को विशेष श्रेणी में रखना होगा।
- उसके बाद उनके सीडी अनुपात को बढ़ाने का दायित्व बैंकों एवं राज्य सरकार द्वारा उठाया जाए तथा जिले को जिला प्रशासन एवं अग्रणी बैंक द्वारा संयुक्त रूप में 'अपनाया' जाना चाहिए।
- जहां बैंक क्रेडिट वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे वहीं राज्य सरकार द्वारा बैंकों के लिए उधार देने तथा अपनी देय राशियों की वसूली के लिए एक सक्षम वातावरण निर्मित कर समर्थन देने के साथ-साथ चिह्नित ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के अपने उत्तरदायित्व के संबंध में स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रस्तुत की जाने की जरूरत है। ऊपर रेखित सहयोग पूर्ण ढांचे के चलते दल का अभिमत था कि सीडी अनुपात में सोद्देश्य पूर्ण सुधार लाना संभव है।
- विशेष श्रेणी के जिलों की प्रगति पर जिला स्तर पर निगरानी रखी जाएगी और संबंधित बैंकों के कार्पोरेट कार्यालयों को वह रिपोर्ट की जाएगी।
- बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऐसे जिलों के सीडी अनुपात पर विशेष ध्यान देंगे।

11. अग्रणी बैंक योजना की रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी- निगरानी सूचना प्रणाली (एमआइएस)

i) वार्षिक क्रेडिट प्लान (एसीपी) पर डाटा, राज्य में ऋण प्रवाह की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान एसीपी रिपोर्टिंग फार्मेट जिसमें लक्ष्य हेतु (एसीपी विवरण ।) तथा उपलब्धि हेतु (एसीपी विवरण ॥) शामिल है, को इस प्रकार संशोधित किया गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उप-क्षेत्र कृषि और संबद्ध कार्यकलापों, माइक्रो और लघु उद्यमों, शिक्षण, आवास तथा अन्य और गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में मध्यम उद्योगों, बड़े उद्योगों, शिक्षण, आवास तथा अन्य के साथ वार्षिक क्रेडिट प्लान तैयार किया जा सके। एसीपी लक्ष्य हेतु रिपोर्टिंग विवरण एलबीएस-एमआइएस-। (अनुबंध IV) है, संवितरण और बकाया हेतु विवरण एलबीएस-एमआइएस-॥ (अनुबंध V) है तथा एसीपी लक्ष्य की तुलना में एसीपी उपलब्धि विवरण एलबीएस-एमआइएस-॥। (अनुबंध VI) है। अग्रणी बैंकों/एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष 2013-14 से शुरू करते हुए निर्धारित फार्मेटों के अनुसार एलबीएस-एमआइएस- ।, ॥ और ॥। विवरण तैयार करें तथा सभी डीसीसी और एसएलबीसी बैठकों में अर्थपूर्ण समीक्षा हेतु इन विवरणों को प्रस्तुत करें।

ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अखिल भारतीय डाटा की निरंतरता और सत्यता एवं डाटा की सोद्देश्यपूर्ण समीक्षा/ विश्लेषण बनाए रखने की दृष्टि से एसीपी और एफआईपी डाटा को डीसीसी/

एसएलबीसी बैठकों के समक्ष रखते समय तथा हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करते समय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों एवं डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग से समूहबद्ध किया जाना चाहिए। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के डाटा की बैंक समूहवार स्थिति का पता लगाने हेतु आगे सरकारी क्षेत्र बैंकों और निजी क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समूहबद्ध किया जाना चाहिए।

12. वित्तीय समावेशन प्लान (एफआइपी) की निगरानी - राज्य और जिला स्तर

i) एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि उनके क्षेत्राधिकार के सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों से 3 वर्षों के लिए एलबीएस-एमआइएस-IV (अनुबंध VII) फार्मेट में राज्यवार बैंक समूहवार वित्तीय समावेशन प्लान को प्राप्त करने के बाद उसे राज्यवार बैंक समूहवार संकलित/ समेकित करें और निर्धारित एलबीएस-एमआइएस-V फार्मेट (अनुबंध VIII) के अनुसार एसएलबीसी बैठक में प्रगति की समीक्षा करें।

ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अखिल भारतीय डाटा के साथ डाटा की एकरूपता तथा सत्यता एवं डाटा की सोद्देश्यपूर्ण समीक्षा/ विश्लेषण बनाए रखने की दृष्टि से एफआईपी डाटा को डीसीसी/डीएलआरसी की बैठकों में प्रस्तुत करते समय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजते समय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलगा से समूहबद्ध किया जाना चाहिए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंकों,निजी क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में और समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चल सकें।

13. 2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के रोडमैप की निगरानी

2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी रोडमैप के अंतर्गत एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 2000 से कम आबादी वाले बैंक रहित गांवों को शामिल करने हेतु बने रोडमैप की प्रगति की निगरानी करें। उपर्युक्त रोडमैप के अंतर्गत बैंकों द्वारा की गई प्रगति (हर जिले में बैंक वार) की तिमाही रिपोर्ट एसएलबीसी द्वारा रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुबंध III में दिए गए फार्मेट में तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर भेज देनी चाहिए।

अनुबंध I

राज्यवार एसएलबीसी संयोजक बैंक और जिला-वार अग्रणी बैंकों की सूची

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	एसएलबीसी संयोजक बैंक	जिला	जिला अग्रणी बैंक
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र बैंक	1. अनंतपुर	सिंडिकेट बैंक
			2. चित्तूर	इंडियन बैंक
			3. पूर्वी गोदावरी	आंध्र बैंक
			4. गुंटूर	आंध्र बैंक
			5. कडप्पा	सिंडिकेट बैंक
			6. कृष्णा	इंडियन बैंक
			7. कुर्नूल	सिंडिकेट बैंक
			8. नेल्लोर	सिंडिकेट बैंक
			9. प्रकाशम	सिंडिकेट बैंक
			10. श्रीकाकुलम	आंध्र बैंक
			11.विशाखापट्टनम	भारतीय स्टेट बैंक
			12.विजयनगरम	भारतीय स्टेट बैंक
			13. पश्चिमी गोदावरी	आंध्र बैंक
2	अरुणाचल प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	1. अनजाव	भारतीय स्टेट बैंक
			2. चांगलांग	भारतीय स्टेट बैंक
			3. दिबांग घाटी	भारतीय स्टेट बैंक
			4. पूर्व कामेंग	भारतीय स्टेट बैंक
			5. पूर्व सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
			6. कुरुग कुमाय	भारतीय स्टेट बैंक
			7. लोहित	भारतीय स्टेट बैंक
			8. लोगंडिंग	भारतीय स्टेट बैंक
			9. निचली दिबांग घाटी	भारतीय स्टेट बैंक
			10. निचली सुबानसिरी	भारतीय स्टेट बैंक
			11.पापुन पुरे	भारतीय स्टेट बैंक
			12. तवांग	भारतीय स्टेट बैंक
			13. तिरप	भारतीय स्टेट बैंक
			14. ऊपरी सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
			15. ऊपरी सुबनसिरी	भारतीय स्टेट बैंक
			16. पश्चिम कामेंग	भारतीय स्टेट बैंक
			17. पश्चिम सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
3	असम	भारतीय स्टेट बैंक	1. बक्सा	भारतीय स्टेट बैंक

			2. बरपेटा	यूको बैंक
			3. बोन्गाईगांव	भारतीय स्टेट बैंक
			4. कछार	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			5. चिरांग	भारतीय स्टेट बैंक
			6. दारांग	यूको बैंक
			7. धेमाजी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			8. धुबरी	यूको बैंक
			9. डिब्रुगढ़	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			10. गोलपाड़ा	यूको बैंक
			11. गोलाघाट	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			12. हलाकांडी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			13. जोरहाट	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			14. कामरूप	यूको बैंक
			15. कामरूप मेट्रो	यूको बैंक
			16. करबी आंगलोंग	भारतीय स्टेट बैंक
			17. करीमगंज	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			18. कोकराझार	यूको बैंक
			19. लखीमपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			20. मोरीगांव	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			21. नागांव	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			22. नलबाड़ी	यूको बैंक
			23. उत्तर कछार हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			24. शिवसागर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			25. सोनितपुर	यूको बैंक
			26. तिनसुकिया	युनाइटेड बैंक ऑफ

				इंडिया
			27. उदलगुड़ी	भारतीय स्टेट बैंक
4	बिहार	भारतीय स्टेट बैंक	1. अररिया	भारतीय स्टेट बैंक
			2. अरवल	पंजाब नेशनल बैंक
			3. औरंगाबाद	पंजाब नेशनल बैंक
			4. बांका	यूको बैंक
			5. बेगूसराय	यूको बैंक
			6. भबुआ (कैमूर)	पंजाब नेशनल बैंक
			7. भागलपुर	यूको बैंक
			8. भोजपुर (अराह)	पंजाब नेशनल बैंक
			9. बक्सर	पंजाब नेशनल बैंक
			10. दरभंगा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			11.पूर्व चम्पारण	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			12. गया	पंजाब नेशनल बैंक
			13. गोपालगंज	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			14. जामूल	भारतीय स्टेट बैंक
			15. जहानाबाद	पंजाब नेशनल बैंक
			16. कटिहार	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			17. खगरिया	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			18. किशनगंज	भारतीय स्टेट बैंक
			19. लखीसराय	पंजाब नेशनल बैंक
			20. मधेपुरा	भारतीय स्टेट बैंक
			21. मधुबनी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			22. मुंगेर	यूको बैंक
			23. मुजफ्फरपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			24. नालंदा	पंजाब नेशनल बैंक
			25. नवादा	पंजाब नेशनल बैंक
			26.पटना	पंजाब नेशनल बैंक
			27. पूर्णिया (पूर्णिया)	भारतीय स्टेट बैंक
			28. रोहतास (सासाराम)	पंजाब नेशनल बैंक
			29. सहरसा	भारतीय स्टेट बैंक
			30. समस्तीपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			31. सरन	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			32. शेखपुरा	केनरा बैंक

			33. शिवहर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			34. सीतामढ़ी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			35. सिवान	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			36. सुपौल	भारतीय स्टेट बैंक
			37. वैशाली	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			38. पश्चिम चम्पारण	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
5	छत्तीसगढ़	भारतीय स्टेट बैंक	1. बालोद	देना बैंक
			2. बालोदा बाज़ार	भारतीय स्टेट बैंक
			3. बलरामपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			4. बस्तर (जगदलपुर)	भारतीय स्टेट बैंक
			5. बेमेतरा	भारतीय स्टेट बैंक
			6. बीजापुर	भारतीय स्टेट बैंक
			7. बिलासपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			8. चंपा (जंगजीर)	भारतीय स्टेट बैंक
			9. दंतेवाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			10. धमतरी	देना बैंक
			11. दुर्ग	देना बैंक
			12. गरियाबंद	देना बैंक
			13. जंगजीर- चंपा	भारतीय स्टेट बैंक
			14. जशपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			15. कांकेर	भारतीय स्टेट बैंक
			16. कावर्धा	भारतीय स्टेट बैंक
			17. कोरबा	भारतीय स्टेट बैंक
			18. कोरिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			19. महासमुंद	देना बैंक
			20. मुंगेली	भारतीय स्टेट बैंक
			21. नारायणपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			22. रायगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			23. रायपुर	देना बैंक
			24.राजनांदगांव	देना बैंक
			25. सरगुजा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			26. सुकमा	भारतीय स्टेट बैंक
			27. सूरजपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6	गोवा	भारतीय स्टेट बैंक	1. नॉर्थ गोवा	भारतीय स्टेट बैंक
			2. साउथ गोवा	भारतीय स्टेट बैंक
7	गुजरात	देना बैंक	1. अहमदाबाद	देना बैंक

			2. अमरेली	भारतीय स्टेट बैंक
			3. आनंद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			4. अरावली	देना बैंक
			5. बनासकांठा	देना बैंक
			6. बड़ौदा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			7. भरूच	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. भावनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			9. बातोद	देना बैंक
			10. छोटा उदेपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			11. दाहोद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			12. डांग	बैंक ऑफ बड़ौदा
			13. देवभूमी द्वारका	देना बैंक
			14. गांधीनगर	देना बैंक
			15. गीर सोमनाथ	भारतीय स्टेट बैंक
			16. गोधरा (पंचमहल)	बैंक ऑफ बड़ौदा
			17. जामनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			18. जूनागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			19. खेडा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			20. कच्छ (भुज)	देना बैंक
			21. महिसागर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			22. मेहसाणा	देना बैंक
			23. मोरबी	भारतीय स्टेट बैंक
			24. नर्मदा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			25. नवसारी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			26. पाटण	देना बैंक
			27. पोरबंदर	भारतीय स्टेट बैंक
			28. राजकोट	भारतीय स्टेट बैंक
			29. साबरकांटा	देना बैंक
			30. सूरत	बैंक ऑफ बड़ौदा
			31. सुरेन्द्रनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			32. तापी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			33. वलसाड़	बैंक ऑफ बड़ौदा
8	हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक	1. अंबाला	पंजाब नेशनल बैंक
			2. भिवानी	पंजाब नेशनल बैंक
			3. फरिदाबाद	सिंडिकेट बैंक
			4. फतेहबाद	पंजाब नेशनल बैंक
			5. गुड़गांव	सिंडिकेट बैंक

			6. हिसार	पंजाब नेशनल बैंक
			7. झज्जर	पंजाब नेशनल बैंक
			8. जींद	पंजाब नेशनल बैंक
			9. कैथल	पंजाब नेशनल बैंक
			10. कर्नाल	पंजाब नेशनल बैंक
			11. कुरूक्षेत्र	पंजाब नेशनल बैंक
			12. महेन्द्रगढ़	पंजाब नेशनल बैंक
			13. मेवात	सिंडिकेट बैंक
			14. पलवल	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स
			15. पंचकुला	पंजाब नेशनल बैंक
			16. पानीपत	पंजाब नेशनल बैंक
			17. रेवाड़ी	पंजाब नेशनल बैंक
			18. रोहतक	पंजाब नेशनल बैंक
			19. सिरसा	पंजाब नेशनल बैंक
			20. सोनीपत	पंजाब नेशनल बैंक
			21. यमुनानगर	पंजाब नेशनल बैंक
9	हिमाचल प्रदेश	यूको बैंक	1.बिलासपुर	यूको बैंक
			2. चंबा	भारतीय स्टेट बैंक
			3. हमीरपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			4. कांगड़ा (धर्मशाला)	पंजाब नेशनल बैंक
			5. किन्नोर (पेव)	पंजाब नेशनल बैंक
			6. कुल्लु	पंजाब नेशनल बैंक
			7. लाहौल और स्पीति (केल्यांग)	भारतीय स्टेट बैंक
			8. मंड़ी	पंजाब नेशनल बैंक
			9. शिमला	यूको बैंक
			10. सिरमौर	यूको बैंक
			11. सोलन	यूको बैंक
			12. ऊना	पंजाब नेशनल बैंक
10	जम्मू और कश्मीर	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.	1. अनंतनाग	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			2. बंडीपोरा	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			3. बडगाम	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.

			4. बारामुल्ला	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			5. दोडा	भारतीय स्टेट बैंक
			6. गंडेरबल	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			7. जम्मू	भारतीय स्टेट बैंक
			8. कारगील	भारतीय स्टेट बैंक
			9. कठुआ	भारतीय स्टेट बैंक
			10. किश्तवाड़	भारतीय स्टेट बैंक
			11. कुलगाम	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			12. कूपवाड़ा	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			13. लद्दाख (लेह)	भारतीय स्टेट बैंक
			14. पूंछ	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			15. पुलवामा	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			16. राज़ौरी	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			17. रामबन	भारतीय स्टेट बैंक
			18. रियासी	भारतीय स्टेट बैंक
			19. सांबा	भारतीय स्टेट बैंक
			20. शोपियां	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			21.श्रीनगर	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			22. उधमपुर	भारतीय स्टेट बैंक
11	झारखंड	बैंक ऑफ इंडिया	1. बोकारो	बैंक ऑफ इंडिया
			2. चतरा	बैंक ऑफ इंडिया
			3. देवघर	भारतीय स्टेट बैंक
			4. धनबाद	बैंक ऑफ इंडिया
			5. दुमका	इलाहाबाद बैंक
			6. पूर्वी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया
			7. गढ़वा	भारतीय स्टेट बैंक
			8. गिरिडीह	बैंक ऑफ इंडिया
			9. गोड्डा	इलाहाबाद बैंक

			10. गुमला	बैंक ऑफ इंडिया
			11. हजारीबाग	बैंक ऑफ इंडिया
			12. जामताड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			13. खूंटी	बैंक ऑफ इंडिया
			14. कोडरमा	बैंक ऑफ इंडिया
			15. लेतेहर	भारतीय स्टेट बैंक
			16. लोहरदगा	बैंक ऑफ इंडिया
			17. पाकुर	भारतीय स्टेट बैंक
			18. पलामू	भारतीय स्टेट बैंक
			19. रामगढ़	बैंक ऑफ इंडिया
			20. रांची	बैंक ऑफ इंडिया
			21. साहिबगंज	भारतीय स्टेट बैंक
			22. सराईकेला - खरसवन	बैंक ऑफ इंडिया
			23. सिमडेगा	बैंक ऑफ इंडिया
			24. पश्चिमी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया
12	कर्नाटक	सिंडिकेट बैंक	1. बागलकोट	सिंडिकेट बैंक
			2. बंगलुरू (ग्रामीण)	केनरा बैंक
			3. बंगलुरू (शहरी)	केनरा बैंक
			4. बेलगाम	सिंडिकेट बैंक
			5. बेल्लारी	सिंडिकेट बैंक
			6. बीदर	भारतीय स्टेट बैंक
			7. बीजापुर	सिंडिकेट बैंक
			8. चामराजनगर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
			9. चिकबल्लापुर	केनरा बैंक
			10. चिकमंगलूर	कारपोरेशन बैंक
			11. चित्रदुर्ग	केनरा बैंक
			12. दक्षिण केनरा	सिंडिकेट बैंक
			13. दावणगिरी	केनरा बैंक
			14. धारवाड़	विजया बैंक
			15. गदग	भारतीय स्टेट बैंक
			16. गुलबर्गा	भारतीय स्टेट बैंक
			17. हासन	केनरा बैंक
			18. हावेरी	विजया बैंक
			19. कोडागू	कारपोरेशन बैंक
			20. कोलार	केनरा बैंक
			21. कोप्पल	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

			22. मंड्या	विजया बैंक
			23. मैसूर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
			24. रायचुर	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			25. रामनगर	कारपोरेशन बैंक
			26. शिमोगा	केनरा बैंक
			27. टुमकुर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
			28. उडुपी	सिंडिकेट बैंक
			29. उत्तर केनरा	सिंडिकेट बैंक
			30. यादगीर	भारतीय स्टेट बैंक
13	केरल	केनरा बैंक	1. अलाप्पुझा	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
			2. अर्नाकुलम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			3. इडुक्की	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			4. कन्नूर	सिंडिकेट बैंक
			5. कासारगोड	सिंडिकेट बैंक
			6. कोल्लम	इंडियन बैंक
			7. कोट्टायम	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
			8. कोझीकोडे	केनरा बैंक
			9. मल्लपुरम	केनरा बैंक
			10. पालाक्कड	केनरा बैंक
			11. पथानामथिट्टा	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
			12. त्रिसुर	केनरा बैंक
			13. तिरुवनंतपुरम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			14 वायनाड (कलेपेट्टा)	केनरा बैंक
14	मध्य प्रदेश	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1. अग्र-मालवा	बैंक ऑफ इंडिया
			2. अलीराजपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			3. अनुपपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			4. अशोकनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			5. बालाघाट	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			6. बदवानी	बैंक ऑफ इंडिया
			7. बैतूल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			8. भिंड	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			9. भोपाल	बैंक ऑफ इंडिया

			10. बुरहानपुर	बैंक ऑफ इंडिया
			11. छतरपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			12. छिंदवाड़ा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			13. दमोह	भारतीय स्टेट बैंक
			14. दातिया	पंजाब नेशनल बैंक
			15. देवास	बैंक ऑफ इंडिया
			16. धार	बैंक ऑफ इंडिया
			17. डिंडोरी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			18. पूर्व निमाड़ (खांडवा)	बैंक ऑफ इंडिया
			19. गुना	भारतीय स्टेट बैंक
			20. ग्वालियर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			21. हरदा	भारतीय स्टेट बैंक
			22 होशंगाबाद	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			23. इंदौर	बैंक ऑफ इंडिया
			24. जबलपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			25. झाबुआ	बैंक ऑफ बड़ौदा
			26. कटनी	भारतीय स्टेट बैंक
			27. मंडला	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			28. मंदसौर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			29. मुरैना	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			30. नरसिंहपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			31. नीमच	भारतीय स्टेट बैंक
			32. पन्ना	भारतीय स्टेट बैंक
			33. रायसेन	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			34. राजगढ़	बैंक ऑफ इंडिया
			35. रतलाम	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			36. रीवा	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			37. सागर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			38. सतना	इलाहाबाद बैंक
			39. सिवनी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			40. शाहडोल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			41. शाजापुर	बैंक ऑफ इंडिया
			42. श्योपुर कला	भारतीय स्टेट बैंक
			43. शिवपुरी	भारतीय स्टेट बैंक
			44. सीधी	यूनियन बैंक ऑफ

				इंडिया
			45. सिहोर	बैंक ऑफ इंडिया
			46. सिंगरौली	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			47. टीकमगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			48. उज्जैन	बैंक ऑफ इंडिया
			49. उमरिया	भारतीय स्टेट बैंक
			50. विदिशा	भारतीय स्टेट बैंक
			51. पश्चिम निमाड़ (खरगोन)	बैंक ऑफ इंडिया
15	महाराष्ट्र	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1. अहमदनगर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			2. अकोला	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			3. अमरावती	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			4. औरंगाबाद	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			5. बीड	भारतीय स्टेट बैंक
			6. भंडारा	बैंक ऑफ इंडिया
			7. बुलढाणा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			8. चंद्रपुर	बैंक ऑफ इंडिया
			9. धुले	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			10. गडचिरोली	बैंक ऑफ इंडिया
			11. गोंदिया	बैंक ऑफ इंडिया
			12. हिंगोली	भारतीय स्टेट बैंक
			13. जलगांव	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			14. जालना	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			15. कोल्हापुर	बैंक ऑफ इंडिया
			16. लातुर	भारतीय स्टेट बैंक
			17. मुंबई	बैंक ऑफ इंडिया
			18. मुंबई उपनगरीय	बैंक ऑफ इंडिया
			19. नागपुर	बैंक ऑफ इंडिया
			20. नांदेड	भारतीय स्टेट बैंक
			21. नंदुरबार	भारतीय स्टेट बैंक
			22. नाशिक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			23. उस्मानाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			24. परभणी	भारतीय स्टेट बैंक
			25. पुणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			26. रायगड	बैंक ऑफ इंडिया
			27. रत्नागिरी	बैंक ऑफ इंडिया

			28. सांगली	बैंक ऑफ इंडिया
			29. सातारा	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			30. सिंधुदुर्ग	बैंक ऑफ इंडिया
			31. सोलापुर	बैंक ऑफ इंडिया
			32. ठाणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			33. वर्धा	बैंक ऑफ इंडिया
			34. वाशिम	भारतीय स्टेट बैंक
			35. यवतमाल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
16	मणिपुर	भारतीय स्टेट बैंक	1. बिश्नुपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			2. चंदेल	भारतीय स्टेट बैंक
			3. चुराचांदपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			4. इम्फाल पूर्व	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			5. इम्फाल पश्चिम	भारतीय स्टेट बैंक
			6. सेनापति	भारतीय स्टेट बैंक
			7. तेमेंगलोंग	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			8. थोबल	भारतीय स्टेट बैंक
			9. उखरूल	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
17	मेघालय	भारतीय स्टेट बैंक	1. पूर्व गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			2. पूर्व जैन्तियां हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			3. पूर्व खासी हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			4. जैन्तियां हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			5. उत्तर गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			6. री भोई	भारतीय स्टेट बैंक
			7. दक्षिण गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			8. दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			9. दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			10. पश्चिम गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			11. पश्चिमी खासी हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक

18	मिज़ोरम	भारतीय स्टेट बैंक	1. ऐजवाल	भारतीय स्टेट बैंक
			2. चम्फाई	भारतीय स्टेट बैंक
			3. छिम्तुइपुई सइहा	भारतीय स्टेट बैंक
			4. कोलसिब	भारतीय स्टेट बैंक
			5. लांग्तलाई	भारतीय स्टेट बैंक
			6. लुंगलेई	भारतीय स्टेट बैंक
			7. मामित	भारतीय स्टेट बैंक
			8. सेरछिप	भारतीय स्टेट बैंक
19	नागालैंड	भारतीय स्टेट बैंक	1. दीमापुर	भारतीय स्टेट बैंक
			2. खिफिर	भारतीय स्टेट बैंक
			3. कोहिमा	भारतीय स्टेट बैंक
			4. लौंगलेंग	भारतीय स्टेट बैंक
			5. मोकोकचुंग	भारतीय स्टेट बैंक
			6. मोन	भारतीय स्टेट बैंक
			7. पेरेन	भारतीय स्टेट बैंक
			8. फेक	भारतीय स्टेट बैंक
			9. तुएनसांग	भारतीय स्टेट बैंक
			10. वोखा	भारतीय स्टेट बैंक
			11. जुन्हेबोतो	भारतीय स्टेट बैंक
20	ओडिशा	यूको बैंक	1. अंगुल	यूको बैंक
			2. बालासोर	यूको बैंक
			3. बदगाह	भारतीय स्टेट बैंक
			4. भद्रक	यूको बैंक
			5. बोलंगीर (बोलांगीर)	भारतीय स्टेट बैंक
			6. बौध	भारतीय स्टेट बैंक
			7. बौघ कंधमाल	भारतीय स्टेट बैंक
			8. कटक	यूको बैंक
			9. देवगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			10. धेंकनाल	यूको बैंक
			11. गजपति	आंध्र बैंक
			12. गंजम	आंध्र बैंक
			13. जगतसिंहपुर	यूको बैंक
			14. जजपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			15. झारसुगुडा	भारतीय स्टेट बैंक
			16. कालाहांडी	भारतीय स्टेट बैंक

			17. केंद्रपाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			18. क्योंझर	बैंक ऑफ इंडिया
			19. खोर्दा	भारतीय स्टेट बैंक
			20. कोरापुट	भारतीय स्टेट बैंक
			21. माल्कनगिरी	भारतीय स्टेट बैंक
			22. मयुरभंज	बैंक ऑफ इंडिया
			23. नारंगपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			24. नौपाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			25. नयागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			26. पूरी	यूको बैंक
			27. रायगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			28. सम्बलपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			29. सोनपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			30. सुंदरगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
21	पंजाब	पंजाब नेशनल बैंक	1. अमृतसर	पंजाब नेशनल बैंक
			2. बरनाला	स्टेट बैंक ऑफ पतियाला
			3. भटिंडा	स्टेट बैंक ऑफ पतियाला
			4. फरिदकोट	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			5. फतेहगढ़ साहिब	स्टेट बैंक ऑफ पतियाला
			6. फाजिल्का	पंजाब नेशनल बैंक
			7. फिरोजपुर	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
			8. गुरदासपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			9. होशियारपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			10. जालंधर	यूको बैंक
			11. कपुरथला	पंजाब नेशनल बैंक
			12. लुधियाना	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			13. मानसा	स्टेट बैंक ऑफ पतियाला
			14. मोगा	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			15. मुक्तसर	स्टेट बैंक ऑफ पतियाला
			16. नवानशहर	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			17. पठाणकोट	पंजाब नेशनल बैंक
			18. पतियाला	स्टेट बैंक ऑफ पतियाला
			19. रोपड़	यूको बैंक
			20. साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)	पंजाब नेशनल बैंक

			21. संगरूर	स्टेट बैंक ऑफ पतियाला
			22. तरण तारण	पंजाब नेशनल बैंक
22	राजस्थान	बैंक ऑफ बड़ौदा	1. अजमेर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			2. अलवर	पंजाब नेशनल बैंक
			3. बंसवाड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			4. बारां	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			5. बाड़मेर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			6. भरतपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			7. भिलवाड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. बिकानेर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			9. बूंदी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			10. चितोडगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			11. चुरू	बैंक ऑफ बड़ौदा
			12. दौसा	यूको बैंक
			13. ढोलपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			14. डुंगरपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			15. हनुमानगढ़	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			16. जयपुर	यूको बैंक
			17.जैसलमेर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			18. जालोर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			19. झालावाड़	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			20. झुंझनु	बैंक ऑफ बड़ौदा
			21. जोधपुर	यूको बैंक
			22. किरौली	बैंक ऑफ बड़ौदा
			23. कोटा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			24. नागपुर	यूको बैंक
			25. पाली	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			26. प्रतापगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			27. राजसमंद	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			28.सवाई माधोपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा

			29. सीकर	पंजाब नेशनल बैंक
			30. सीरोही	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			31.श्री गंगानगर	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
			32. टोंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
			33. उदयपुर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
23	सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक	1. पूर्व सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
			2. उत्तर सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
			3. दक्षिण सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
			4. पश्चिम सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
24	तमिलनाडु	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	1. अरियालुर	भारतीय स्टेट बैंक
			2. चैन्नै	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			3. कोईम्बतूर	केनरा बैंक
			4. कड्डालोर	इंडियन बैंक
			5. धर्मपुरी	इंडियन बैंक
			6. डिंडीगुल	केनरा बैंक
			7. इरोड	केनरा बैंक
			8. कांचीपुरम	इंडियन बैंक
			9. कन्याकुमारी	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			10. करूर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			11. कृष्णिगरी	इंडियन बैंक
			12. मदुराई	केनरा बैंक
			13. नागापट्टनम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			14. नमक्कल	इंडियन बैंक
			15. नीलगिरी	केनरा बैंक
			16. पेरंबलुर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			17. पुदुकोट्टाई	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			18. रामनाथपुरम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			19. सेलम	इंडियन बैंक
			20. शिवगंगा	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			21. तंजावुर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			22. थेनी	केनरा बैंक
			23. तिरुचिरापल्ली	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			24. तिरूनलवेल्ली	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			25. तिरुप्पुर	केनरा बैंक

			26. तिरुवल्लुर	इंडियन बैंक
			27. तिरूवन्नमलै	इंडियन बैंक
			28. तिरूवरूर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			29. तुतीकोरिन	भारतीय स्टेट बैंक
			30. वेल्लौर	इंडियन बैंक
			31. विलुप्पुरम	इंडियन बैंक
			32. विरुधनगर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
25	तेलंगाना	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1. अदिलाबाद	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			2. हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			3. करीमनगर	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			4. खम्मम	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			5. मेहबूबनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			6. मेडक	भारतीय स्टेट बैंक
			7. नलगोंडा	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			8. निज़ामाबाद	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			9. रंगा रेड्डी	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			10. वारंगल	भारतीय स्टेट बैंक
26	त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1. धालाई	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			2. गोमती	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			3. खोवाई	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			4. उत्तर त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			5. सिपाहजाला	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			6. दक्षिण त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			7. उनाकोटी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			8. पश्चिम त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
27	उत्तराखंड	भारतीय स्टेट बैंक	1. अलमोड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			2. बागेश्वर	भारतीय स्टेट बैंक
			3. चमोली	भारतीय स्टेट बैंक
			4. चंपावत	भारतीय स्टेट बैंक

			5. देहरादून	पंजाब नेशनल बैंक
			6. हरिद्वार	पंजाब नेशनल बैंक
			7. नैनीताल	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. पौड़ी गढ़वाल	भारतीय स्टेट बैंक
			9. पिथोरागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			10. रुद्रप्रयाग	भारतीय स्टेट बैंक
			11. टिहरी गढ़वाल (नई टिहरी)	भारतीय स्टेट बैंक
			12.उधम सिंह नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			13.उत्तर काशी	भारतीय स्टेट बैंक
28	उत्तर प्रदेश	बैंक ऑफ बड़ौदा	1. आगरा	केनरा बैंक
			2. अलिगढ़	केनरा बैंक
			3. इलाहाबाद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			4. आंबेडकर नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			5 औरैया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			6. आजमगढ़	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			7. बागपत	सिंडिकेट बैंक
			8. बहराइच	इलाहाबाद बैंक
			9. बालिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			10. बलरामपुर	इलाहाबाद बैंक
			11. बांदा	इलाहाबाद बैंक
			12. बाराबंकी	बैंक ऑफ इंडिया
			13. बरेली	बैंक ऑफ बड़ौदा
			14. बस्ती	भारतीय स्टेट बैंक
			15. भीम नगर	सिंडिकेट बैंक
			16. बिजनौर	पंजाब नेशनल बैंक
			17. बदायूं	पंजाब नेशनल बैंक
			18. बुलंदशहर	पंजाब नेशनल बैंक
			19. चंडौली	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			20. छत्रपती शाहूजी महाराज नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			21. चित्रकूट	इलाहाबाद बैंक
			22. देवरिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			23. ईटा	केनरा बैंक
			24. इटावा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

25. फैजाबाद	बैंक ऑफ बड़ौदा
26. फर्रुखाबाद	बैंक ऑफ इंडिया
27. फतेहपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
28. फिरोज़ाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
29. गौतम बुद्ध नगर	सिंडिकेट बैंक
30. गाज़ियाबाद	सिंडिकेट बैंक
31. गाज़ीपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
32. गोंदा	इलाहाबाद बैंक
33. गोरखपुर	भारतीय स्टेट बैंक
34. हमीरपुर	इलाहाबाद बैंक
35. हरदोई	बैंक ऑफ इंडिया
36. जालौन	इलाहाबाद बैंक
37. जौनपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
38. झांसी	पंजाब नेशनल बैंक
39. ज्योतिबा फुले नगर (अमरोह)	सिंडिकेट बैंक
40. कनौज़	बैंक ऑफ इंडिया
41. कानपुर देहात - ग्रामीण	बैंक ऑफ बड़ौदा
42.कानपुर नगर - शहरी	बैंक ऑफ बड़ौदा
43. कांसी राम नगर (कासनगंज)	केनरा बैंक
44. कौशम्बी	बैंक ऑफ बड़ौदा
45.कुशी नगर (पद्रौना)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
46.लखीमपुर - खेरी	इलाहाबाद बैंक
47.ललितपुर	पंजाब नेशनल बैंक
48. लखनऊ	बैंक ऑफ इंडिया
49. महामाया नगर (हाथरस)	केनरा बैंक
50.महाराजगंज	भारतीय स्टेट बैंक
51. माहोबा	इलाहाबाद बैंक
52. मैनापुरी	बैंक ऑफ इंडिया

			53. मथुरा	सिंडिकेट बैंक
			54.मऊ (मउ नाथ बहंजन)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			55. मेरठ	सिंडिकेट बैंक
			56. मिर्जापुर	इलाहाबाद बैंक
			57. मोरादाबाद	सिंडिकेट बैंक
			58. मुज़फ्फरनगर	पंजाब नेशनल बैंक
			59. पंचशील नगर	सिंडिकेट बैंक
			60. पिलीभित	बैंक ऑफ बड़ौदा
			61. प्रबुध नगर (श्यामली)	पंजाब नेशनल बैंक
			62. प्रतापगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			63. राय बरेली	बैंक ऑफ बड़ौदा
			64. रामपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			65. सहारनपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			66. संत कबीर नगर	भारतीय स्टेट बैंक
			67. संत रवीदास नगर (भदोही)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			68. शाहजहांपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			69. श्रावस्ती	इलाहाबाद बैंक
			70. सिद्धार्थ नगर	भारतीय स्टेट बैंक
			71. सीतापुर	इलाहाबाद बैंक
			72. सोनभद्र	इलाहाबाद बैंक
			73. सुलतानपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			74. उन्नाव	बैंक ऑफ इंडिया
			75. वाराणसी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
29	पश्चिम बंगाल	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1. बांकुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			2. वीरभूम	यूको बैंक
			3. बर्दवान	यूको बैंक
			4. कूच बिहार	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			5. दक्षिण दिनाजपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			6. दार्जिलिंग	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			7. हुगली	यूको बैंक
			8. हावड़ा	यूको बैंक

			9. जलपईगुड़ी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			10. कोलकाता	भारतीय स्टेट बैंक
			11. मालदा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			12. मुर्शिदाबाद	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			13. नडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			14. उत्तर चौबीस परगणा	इलाहाबाद बैंक
			15. पश्चिम मदिनापुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			16. पूर्व मदिनापुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			17. पुरुलिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			18. दक्षिण चौबीस परगणा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			19. उत्तर दिनाजपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	भारतीय स्टेट बैंक	1. निकोबार द्वीपसमूह	भारतीय स्टेट बैंक
			2. उत्तर और मध्य अंडमान	भारतीय स्टेट बैंक
			3. दक्षिण अंडमान	भारतीय स्टेट बैंक
31	चंडीगढ़	पंजाब नेशनल बैंक	1. चंडीगढ़ (ग्रामीण)	पंजाब नेशनल बैंक
32	दादरा नगर हवेली	देना बैंक	1. दादरा नगर हवेली	देना बैंक
33	दमण और दीव	देना बैंक	1. दमण	भारतीय स्टेट बैंक
			2. दीव	भारतीय स्टेट बैंक
34	दिल्ली	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	1. सेंट्रल दिल्ली	केनरा बैंक
			2. पूर्व दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक
			3. नई दिल्ली	केनरा बैंक
			4. उत्तर दिल्ली	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
			5. उत्तर-पूर्व दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक
			6. उत्तर पश्चिम	पंजाब नेशनल बैंक

			दिल्ली	
			7. शहादरा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. दक्षिण दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
			9. दक्षिण पूर्व दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
			10. दक्षिण पश्चिम दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
			11. पश्चिम दिल्ली	केनरा बैंक
35	लक्षद्वीप	सिंडिकेट बैंक	1. लक्षद्वीप	सिंडिकेट बैंक
36	पुदुचेरी	इंडियन बैंक	1. पुदुचेरी	इंडियन बैंक

अनुबंध II

विषयवस्तु की निदर्शी सूची

मेनू मद	उप मेनू	विषयवस्तु	अनुबंध
हमारे बारे में	**पृष्ठभूमि**	राज्य के विकास और उसके कामकाज के लिए एक समन्वयकारी मंच के रूप में एसएलबीसी - संक्षिप्त लेख	
	एसएलबीसी -सदस्य	एसएलबीसी सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण	**II-1**
राज्य प्रोफाइल	**भौगोलिक मानचित्र**	संबंधित जिले का नाम क्लिक करने पर जिले के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए इतनी के रूप में प्रत्येक जिले के साथ एनआईसी पोर्टल पर भारत सरकार की संबंधित जिले की वेबसाइट सहबद्ध की जाए।	
	बुनियादी सुविधाएं	बिजली, परिवहन, सड़क और रेल आदि	
	कृषि	खेती के रकबे, फसल पद्धति, सिंचाई सुविधाओं, कृषि यंत्रीकरण, संबद्ध गतिविधियां, डेयरी, मत्स्य पालन, फलोद्यान, बागवानी आदि,	
	उद्योग	औद्योगीकरण,एमएसई की स्थिति, एमएसई की बीमारी की स्थिति, कारण, पुनर्वास	
	बैंकिंग	प्रत्येक जिलों के कुल गांवों की तुलना में बैंकिंग सुविधायुक्त गांवों की स्थिति	**II-2**
एसएलबीसी - बैठकें	**बैठकों का कैलेंडर**	चालू कैलेंडर वर्ष के लिए एसएलबीसी बैठकों का कार्यक्रम	**II-3**
	एसएलबीसी - की गई बैठकें	एजेंडा और कार्यविवरण के साथ आयोजित एसएलबीसी की बैठकों के ब्यौरे	**II-4**
अग्रणी बैंक योजना	**अग्रणी बैंक - जिला वार**	एलडीम के नाम और संपर्क विवरण के साथ अग्रणी बैंकों के ब्यौरे	**II-5**
	एसीपी-लक्ष्य	वार्षिक ऋण योजना - वर्ष के लिए लक्ष्य	**II-6**
	एसीपी -उपलब्धियां	वार्षिक ऋण योजना - सेक्टर वार उपलब्धि	**II-7**
	सीडी अनुपात	सीडी अनुपात की जिलावार स्थिति	**II-8**
सरकार प्रायोजित कार्यक्रम	**केंद्र सरकार प्रायोजित कार्यक्रम**	केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रत्येक कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण। केन्द्र सरकार प्रायोजित योजना को आरबीआई / भारत सरकार के दिशानिर्देशों से जोड़ा जाना है।	
	राज्य सरकार प्रायोजित	राज्य सरकार प्रायोजित प्रत्येक कार्यक्रम का संक्षिप्त	

	कार्यक्रम	विवरण.	
बैंकिंग नेटवर्क	**बैंकिंग नेटवर्क –सारांश**	शाखाओं, बीसी और अन्य माध्यमों के रूप में पृथक की गई बैंकिंग आउटलेटों की संख्या की बैंक वार स्थिति	**II-9**
	बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं - ब्योरे	सभी शाखाओं के जिलावार विवरण	**II-10**
	बैंकिंग आउटलेट-बीसी-ब्योरे	सभी बीसी आउटलेटों का जिलावार विवरण	**II-11**
	बैंकिंग आउटलेट-अन्य माध्यम - ब्योरे	अन्य माध्यम से बैंकिंग आउटलेटों का जिलावार विवरण	**II-12**
वित्तीय समावेशन	**एसएचजी बैंक सहबद्धता**	बचत और ऋण सहबद्ध स्वयं सहायता समूह संख्या की बैंक वार स्थिति	**II-13**
	एफएलसी	एफएलसी की जिलावार स्थिति	**II-14**
	आरसेटी	आर सेटी की जिलावार स्थिति	**II-15**
डाटा प्रस्तुत करना	**वेब आधारित इंटरफेस**	लीड बैंकों और बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों द्वारा एसएलबीसी को डेटा प्रस्तुत करना	
लिंग	**संबंधित वेबसाईट से सहबद्ध**	भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकार, भारतीय बैंक संघ, बैंकिंग लोकपाल, बैंकों और अन्य संबंधित वेबसाइटों के लिए लिंक	

अनुबंध II-1

एसएलबीसी - सदस्य सूची							
----- को अद्यतित							
क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**संगठन**	**संपर्क के ब्योरे**			**टिप्पणियां**
				फोन	**ई-मेल**	**पता**	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

अनुबंध II-2

बैंकिंग सेवाएं - शामिल गांव							
----- को समाप्त तिमाही							
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**जिला कूट सं. (बीएसआर)**	**गांवों की कुल संख्या**		**बैंकिंग आउटलेट युक्त गांवों की संख्या (बीआर/बीसी/अन्य)**		**टिप्पणियां**
1			>2000	<2000	>2000	<2000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
	जोड़						

अनुबंध II-3

एसएलबीसी --------- कैलेण्डर वर्ष ------- के लिए बैठकों का कैलेंडर				
क्र.सं.	**वर्ष**	**तिमाही**	**बैठक की नियत तारीख**	**टिप्पणियां**
1			दिन. माह. वर्ष	
2				
3				
4				

अनुबंध II-4

एसएलबीसी - की गई बैठकों के ब्योरे									
क्र.सं.	**एसएलबीसी बैठक सं.***	**बैठक की तारीख - कार्यसूची सहबद्ध**	**उपस्थित सदस्य (नाम और पदनाम)**				**बैठक के कार्यविवरण**	**कैलेण्डर के अनुसार बैठक की नियत तारीख**	**टिप्पणियां**
			रिजर्व बैंक	संयोजक बैंक	भारत सरकार	राज्य सरकार	कार्यविवरण		
1		दिन.माह.वर्ष					कार्यविवरण	दिन.माह.वर्ष	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

* अप्रैल 2010 के बाद हुई एसएलबीसी बैठकें

अनुबंध II-5

अग्रणी बैंकों के ब्यौरे									
----- में समाप्त तिमाही									
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**जिला कूट (बीएस आर)**	**अग्रणी बैंक का नाम**	**एलडीएम का नाम**	**पदनाम**	**संपर्क ब्यौरे**			**टिप्पणियां**
						फोन	**ई-मेल**	**पते**	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

अनुबंध II-6

वार्षिक क्रेडिट प्लान -------- वर्ष के लिए लक्ष्य								
(राशि हजार रुपए में)								
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**बैंक का नाम**	**कृषि और संबद्ध गतिविधियां**	**एमएसई**	**अन्य प्राथमिकता प्राप्त**	**प्राथमिकता प्राप्त- उप जोड़**	**गैर प्राथमिकता प्राप्त**	**जोड़**
1								
2								
3								
4								
5								
6								
		वाणिज्यिक बैंक-उप जोड़						
1								
2								
3								
		क्षे.ग्रा.बैंक -उप जोड़						
1								
2								
3								
4								
5								
		सहकारी बैंक - उप जोड़						
		समस्त बैंक - जोड़						

अनुबंध II-7

वार्षिक क्रेडिट प्लान - उपलब्धि							
----- समाप्त तिमाही (राशि हजार रुपए में)							
क्र. सं.	**बैंक का नाम**	**कृषि और संबद्ध गतिविधियां**	**एमएसई**	**अन्य प्राथमिकता प्राप्त**	**प्राथमिकता प्राप्त - उप जोड़**	**गैर प्राथमिकता प्राप्त**	**जोड़**
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	वाणिज्यिक बैंक- उप जोड़						
1							
2							
3							
	क्षेग्राबैं -उप जोड़						
1							
2							
3							
4							
5							
	सहकारी बैंक - उप जोड़						
	समस्त बैंक - जोड़						

अनुबंध II-8

ऋण-जमा (सीडी) अनुपात						
------- समाप्त तिमाही (राशि हजार रुपए में)						
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**जिले की कूट सं.**	**जमाराशियां**	**ऋण**	**सीडी अनुपात**	**टिप्पणियां**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

अनुबंध II-9

बैंकिंग नेटवर्क - सारांश						
----- समाप्त तिमाही						
क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**बैंकिंग आउटलेटों की संख्या**				**टिप्पणियां**
1		शाखा	बीसी	अन्य माध्यम	जोड़	
2						
3						
4						
5						
6						
	वाणिज्यिक बैंक-उप जोड़					
1						
2						
3						
	क्षेग्राबैं -उप जोड़					
1						
2						
3						
4						
5						
	सहकारी बैंक -उप जोड़					
	समस्त बैंक -जोड़					

अनुबंध II-10

बैंकिंग आउटलेटों के ब्यौरे - शाखाएं											
---------- समाप्त तिमाही											
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**जिला कोड (बीएस आर)**	**ब्लॉक**	**बस्ती/ गांव**	**आबादी वर्गीकरण(एम/ यू/एसयू/आर)**	**बैंक का नाम**	**शाखा का नाम**	**खोलने की तारीख**	**संपर्क के ब्यौरे**	**पता**	**टिप्पणियां**
1								**दिन. माह.वर्ष**			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

अनुबंध II-11

बैंकिंग आउटलेटों के ब्यौरे - बीसी										
----- समाप्त तिमाही										
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**ब्लॉक**	**बस्ती/ गांव**	**आबादी वर्गीकरण (एम/यू/एसयू/आर)**	**बैंक का नाम**	**आधारभूत शाखा का नाम**	**बीसी आउटलेट खोलने की तारीख**	**सीएसपी का नाम**	**सीएसपी का टेलीफोन नं.**	**टिप्पणियां**
1							दिन.माह. वर्ष			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

अनुबंध II-12

बैंकिंग आउटलेटों के ब्यौरे - अन्य माध्यम										
------- समाप्त तिमाही										
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**ब्लॉक**	**बस्ती/ गांव**	**आबादी वर्गीकरण (एम/यू/एस यू/आर)**	**बैंक का नाम**	**माध्यम का प्रकार निर्दिष्ट करें(ग्रामीण/ एटीएम/ मोबाईल वैन/अन्य)**	**खोलने की तारीख**	**संपर्क अधिकारी का नाम**	**संपर्क अधिकारी का टेलीफोन नं..**	**टिप्पणियां**
1							दिन.माह.वर्ष			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

अनुबंध II-13

एसएचजी बैंक सहबद्धता कार्यक्रम					
----- समाप्त तिमाही (संख्या वास्तविक, राशि हजार रुपए में)					
क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**बचत सहबद्ध**		**ऋण सहबद्ध**	
		एसएचजी की संख्या	बकाया राशि	एसएचजी की संख्या	बकाया राशि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	वाणिज्यिक बैंक-उप जोड़				
1					
2					
3					
	क्षेग्राबैं -उप जोड़				
1					
2					
3					
4					
5					
	सहकारी बैंक -उप जोड़				
	समस्त बैंक -जोड़				

अनुबंध II-14

एफएलसी की स्थिति									
----- समाप्त तिमाही									
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**एफएलसी का स्थान**	**प्रायोजक बैंक**	**खोलने की तारीख**	**संपर्क अधिकारी का नाम**	**संपर्क ब्यौरे**			**टिप्पणियां**
1						**फोन**	**ई-मेल**	**पता**	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

अनुबंध II-15

आरसेटी की स्थिति									
----- समाप्त तिमाही									
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**आरसेटी का स्थान**	**प्रायोजक बैंक**	**खोलने की तारीख**	**संपर्क अधिकारी का नाम**	**संपर्क ब्यौरे**			**टिप्पणियां**
1						**फोन**	**ई-मेल**	**पता**	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

अनुबंध III

तिमाही रिपोर्ट

2000 से कम आबादीवाले हर गांव में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करने के लिए रोडमैप --------को समाप्त तिमाही में प्रगति

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम :	**रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय का नाम :**

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**2000 से कम आबादी वाले गांवों में आबंटन के लिए चयनित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम**	**आबंटित गांवों की संख्या**	**2000 से कम आबादीवाले गांवों के लिए तैयार किए गए रोडमैप में से उन गांवों की संख्या जहां रिपोर्टिंग तिमाही के अंत तक बैंकिंग आउटलेट खोले गए**							
				शाखाएं	**बीसी**					**अन्य माध्यम**	**सकल जोड़ = 5+10+11**
					निर्धारित स्थान	**हर सप्ताह में विजिट**	**पखवाड़े मे एक बार विजिट**	**पखवाडे में एक से अधिक बार विजिट**	**बीसी-उप जोड़ = 6+7+8 +9**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
जोड़											

अनुबंध IV

एलबीएस - एमआइएस - I

--------- समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक ऋण प्लान (एसीपी) के लक्ष्य दर्शानेवाला विवरण

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम:

क्र.सं.	**सेक्टर**	**उप-सेक्टर**	**एसीपी के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य**	
			संख्या	राशि
1	प्राथमिकता प्राप्त	कृषि और संबद्ध गतिविधियां - प्रत्यक्ष		
2		कृषि और संबद्ध गतिविधियां - परोक्ष		
3		कृषि और संबद्ध गतिविधियां - **उप जोड़ = 1+2**		
4		एमएसई		
5		शिक्षा		
6		आवास		
7		अन्य		
8		**उप-जोड़= 4+5+6+7**		
9	गैर-प्राथमिकता प्राप्त	भारी उद्योग		
10		मध्यम उद्योग		
11		शिक्षा		
12		आवास		
13		अन्य		
14		**उप-जोड़=9+10+11+12+13+14**		
15	**जोड़=3+8+14**			

टिप्पणी *:* डाटा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों एवं डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग समूहबद्ध किए जाने की जरुरत है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंकों, निजी क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आगे और समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चले।

अनुबंध V

एलबीएस - एमआइएस -II

…….. समाप्त तिमाही के लिए संवितरण और बकाया दर्शानेवाला विवरण

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम :

क्र.सं.	**सेक्टर**	**उप-सेक्टर**	**चालू तिमाही के अंत तक वितरण**		**चालू तिमाही के अंत तक बकाया**	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	प्राथमिकता	कृषि और संबद्ध गतिविधियां प्रत्यक्ष				
2		कृषि और संबद्ध गतिविधियां - परोक्ष				
3		कृषि और संबद्ध गतिविधियां - **उप जोड़ =1+2**				
4		एमएसई				
5		शिक्षा				
6		आवास				
7		अन्य				
8		**उप-जोड़=4+5+6+7**				
9	गैर-प्राथमिकता	भारी उद्योग				
10		मध्यम उद्योग				
11		शिक्षा				
12		आवास				
13		अन्य				
14		**उप जोड़=9+10+11+12+13**				
15	**जोड़=3+8+14**					

टिप्पणी : डाटा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग समूहबद्ध किए जाने की जरुरत है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंकों, निजी क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आगे और समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चले।

अनुबंध VI

एलबीएस - एमआइएस - III

…….. समाप्त तिमाही के लिए लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां दर्शानेवाला विवरण

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम:

क्र.सं.	**सेक्टर**	**उप-सेक्टर**	**एसीपी के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य**		**चालू तिमाही के अंत तक उपलब्धि (%)**	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	प्राथमिकता प्राप्त	कृषि और संबद्ध गतिविधियां - प्रत्यक्ष				
2		कृषि और संबद्ध गतिविधियां - परोक्ष				
3		कृषि और संबद्ध गतिविधियां - **उप जोड़=1+2**				
4		एमएसई				
5		शिक्षा				
6		आवास				
7		अन्य				
8		**उप जोड़=4+5+6+7**				
9	गैर-प्राथमिकता प्राप्त	भारी उद्योग				
10		मध्यम उद्योग				
11		शिक्षा				
12		आवास				
13		अन्य				
14		**उप जोड़=9+10+11+12+13**				
15	**जोड़=3+8+14**					

टिप्पणी : डाटा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग समूहबद्ध किए जाने की जरुरत है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंक,निजी क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आगे और समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चले।

अनुबंध VII

एलबीएस - एमआइएस -IV

मार्च 2014 - 2016 तक की तीन वर्षीय अवधि के लिए वार्षिक लक्ष्य और पिछले वर्ष की उपलब्धियां दर्शानेवाला विवरण

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम:

क्र.सं.	विवरण		उपलब्धि - मार्च 2013 में समाप्त वर्ष	लक्ष्य - मार्च 2014 में समाप्त वर्ष	लक्ष्य - मार्च 2015 में समाप्त वर्ष	लक्ष्य -मार्च 2016 में समाप्त वर्ष
1	**शाखाओं की कुल संख्या**					
2	**उपर्युक्त 1 में से ग्रामीण शाखाओं की संख्या**					
3	**बैंक रहित गांवों में शाखाओं की संख्या**					
4	**नियोजित सीएसपी की कुल संख्या**					
5	**2000 से अधिक की आबादीवाले गांवों में बैंकिंग आउटलेटों की संख्या**	शाखाओं के माध्यम से				
6		बीसी के माध्यम से				
7		अन्य माध्यमों के जरिए				
8		**उप जोड़ : > 2000 से अधिक**				
9	**2000 से कम की आबादीवाले गांवों में बैंकिंग आउटलेटों की संख्या**	शाखाओं के माध्यम से				
10		बीसी के माध्यम से				
11		अन्य माध्यमों के जरिए				
12		**उप जोड़: < 2000 से कम**				
13	**सभी गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट**					
14	**शहरी स्थानों में बीसी आउटलेटों की संख्या**					
15	**शाखाओं के माध्यम**	संख्या				

	से बुनियादी बचत जमा खाते (बीएसबीडीए)	वास्तविक				
16		राशि हजार रूपए में				
17	**बीसी के माध्यम से बकाया बुनियादी बचत जमा खाते (बीएसबीडीए)**	संख्या वास्तविक				
18		राशि हजार रूपए में				
19	**बुनियादी बचत जमा खाते (बीएसबीडीए) (समग्रत: बैंक के रूप में)**	संख्या वास्तविक				
20		राशि हजार रूपए में				
21	**बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा**	संख्या वास्तविक				
22		राशि हजार रूपए में				
23	**शाखाओं के माध्यम से बकाया केसीसी**	संख्या वास्तविक				
24		राशि हजार रूपए में				
25	**बीसी के माध्यम से बकाया केसीसी**	संख्या वास्तविक				
26		राशि हजार रूपए में				
27	**केसीसी - जोड़ (समग्रत: बैंक के रूप में)**	संख्या वास्तविक				
28		राशि हजार रूपए में				
29	**शाखाओं के माध्यम से बकाया जीसीसी**	संख्या वास्तविक				
30		राशि हजार रूपए में				
31	**बीसी के माध्यम से बकाया जीसीसी**	संख्या वास्तविक				
32		राशि हजार रूपए में				
33	**जीसीसी - जोड़ (समग्रत: बैंक के रूप में)**	संख्या वास्तविक				
34		राशि हजार रूपए में				
35	**बीसी-आईसीटी खातों में लेनदेन (वर्ष के दौरान)**	बचत जमा (संख्या वास्तविक)				
36		बचत जमा (राशि हजार रूपए				

		में)				
37		ऋण/ओडी (संख्या वास्तविक)				
38		ऋण/ओडी (राशि हजार रूपए में)				
39		मीयादी जमा /आवर्ती जमा (संख्या वास्तविक)				
40		मीयादी जमा / आवर्ती (राशि हजार रूपए में)				
41		ईबीटी/ प्रेषण (संख्या वास्तविक)				
42		ईबीटी/प्रेषण (राशि हजार रूपए में)				
43		अन्य (संख्या वास्तविक)				
44		अन्य (राशि हजार रूपए में)				
45	**बीसी-आईसीटी खातों में कुल लेनदेन**	**संख्या वास्तविक**				
46		**राशि हजार** रूपए में)				

नोट : वित्तीय समावेशन प्लान तैयार करने के लिए जांच सूची सूचनार्थ संबद्ध है।

अनुबंध **VIII**

एलबीएस - एमआइएस -IV

मार्च 2014 - 2016 तक की तीन वर्षीय अवधि के लिए वार्षिक लक्ष्य और पिछले वर्ष की उपलब्धियां दर्शानेवाला विवरण

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम:

क्रम सं।	**विवरण**		**पिछले वर्ष के अंत में स्थिति**	**लक्ष्य - --में समाप्त होनेवाले चालू वर्ष में**	**तिमाही 1 के अंत में स्थिति**	**तिमाही 2 के अंत में स्थिति**	**तिमाही 3 के अंत में स्थिति**	**तिमाही 4 के अंत में स्थिति**
1	**शाखाओं की कुल संख्या**							
2	**उपर्युक्त 1 में से ग्रामीण शाखाओं की संख्या**							
3	**बैंक रहित गांवों में शाखाओं की संख्या**							
4	**नियोजित सीएसपी की कुल संख्या**							
5	**2000 से अधिक की आबादीवाले गांवों में बैंकिंग आउटलेटों की संख्या**	शाखाओं के माध्यम से						
6		बीसी के माध्यम से						
7		अन्य माध्यमों के जरिए						
8		**उप जोड़ : > 2000 से अधिक**						
9	**2000 से कम**	शाखाओं						

	की आबादीवाले गांवों में बैंकिंग आउटलेटों की	के माध्यम से						
10	**संख्या**	बीसी के माध्यम से						
11		अन्य माध्यमों के जरिए						
12		**उप जोड़: < 2000 से कम**						
13	**सभी गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट**							
14	**शहरी स्थानों में बीसी आउटलेटों की संख्या**							
15	**शाखाओं के माध्यम से**	संख्या वास्तविक						
16	**बुनियादी बचत जमा खाते (बीएसबीडीए)**	राशि हजार रूपए में						
17	**बीसी के माध्यम से**	संख्या वास्तविक						
18	**बकाया बुनियादी बचत जमा खाते (बीएसबीडीए)**	राशि हजार रूपए में						
19	**बुनियादी बचत जमा खाते**	संख्या वास्तविक						
20	**(बीएसबीडीए) (समग्रत: बैंक के रूप में)**	राशि हजार रूपए में						
21	**बीएसबीडीए में ली गई ओडी**	संख्या वास्तविक						
22	**सुविधा**	राशि						

		हजार रूपए में						
23	**शाखाओं के माध्यम से बकाया केसीसी**	संख्या वास्तविक						
24		राशि हजार रूपए में						
25	**बकाया केसीसी - बीसी के माध्यम से**	संख्या वास्तविक						
26		राशि हजार रूपए में						
27	**केसीसी - जोड़ (समग्रत: बैंक के रूप में)**	संख्या वास्तविक						
28		राशि हजार रूपए में						
29	**शाखाओं के माध्यम से बकाया जीसीसी**	संख्या वास्तविक						
30		राशि हजार रूपए में						
31	**बीसी के माध्यम से बकाया जीसीसी**	संख्या वास्तविक						
32		राशि हजार रूपए में						
33	**जीसीसी - जोड़ (समग्रत: बैंक के रूप में)**	संख्या वास्तविक						
34		राशि हजार रूपए में						
35	**बीसी-आईसीटी खातों में लेनदेन (तिमाही के दौरान)**	बचत जमा (संख्या वास्तविक)						
36		बचत जमा (राशि						

		हजार रूपए में)						
37		ऋण/ओडी (संख्या वास्तविक)						
38		ऋण/ओडी (राशि हजार रूपए में)						
39		मीयादी/आवर्ती जमा (संख्या वास्तविक)						
40		मीयादी/ आवर्ती (राशि हजार रूपए में)						
41		ईबीटी/ प्रेषण (संख्या वास्तविक)						
42		ईबीटी/प्रेषण राशि हजार रूपए में						
43		अन्य (संख्या वास्तविक)						
44		अन्य (राशि हजार रूपए में						
45	**बीसी-आईसीटी खातों में कुल लेनदेन**	**संख्या वास्तविक**						
46		**राशि हजार रूपए में**						

नोट : वित्तीय समावेशन प्लान तैयार करने के लिए जांच सूची सूचनार्थ संबद्ध है।

वित्तीय समावेशन प्लान तैयार संबंधी जांच सूची

(उक्त डाटा सभी संबंधित शाखाओं संबंधी होना है चाहे वे महानगरीय, शहरी, अर्द्ध शहरी अथवा ग्रामीण क्यों न हो। यह केवल वित्तीय समावेशन शाखाओं संबंधी ही नहीं होना चाहिए। क्रम सं. 1 से 34 के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के अंत का डाटा संचयी होना चाहिए जबकि क्रम सं. 35 से 46 का डाटा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से किए गए वास्तविक लेनदेनों के लिए दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, 'क्ष' महीने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय क्रम सं. 35-46 में डाटा रिपोर्टिंग 'क्ष' मास में किए गए लेनदेनों को इंगित करता हो, 'य' में समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय क्रम सं. 35-46 में डाटा 'य' में समाप्त तिमाही के दौरान हुए लेनदेनों को इंगित करता हो और 'ज्ञ' में समाप्त वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करने समय क्रम सं. 35-46 में डाटा रिपोर्टिंग वर्ष 'ज्ञ' के दौरान किए गए लेनदेन इंगित करनेवाला होना चाहिए।

क्र.सं.	ब्यौरे		जांच सूची
1	**शाखाओं की कुल संख्या**		कार्यरत शाखाओं की संख्या
2	**उपर्युक्त 1 में से ग्रामीण शाखाओं की संख्या**		कार्यरत शाखाओं की संख्या. यह क्रम सं. 5 और 9 का जोड़ होना चाहिए
3	**बैंक रहित गांवों में शाखाओं की सं.**		ऐसी कार्यरत शाखाओं की संख्या जो 1 अप्रैल 2011 के बाद बैंक-रहित गांवों में खोली गई हैं (इस उद्देश्य के लिए ऐसे गांव जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा नहीं है, को बैंक-रहित गांव कहा जाता है)।
4	**नियोजित सीएसपी की कुल संख्या**		बीसी आउटलेटों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात सीएसपी की संख्या। बैंक द्वारा सीधे नियुक्त व्यक्तिगत सीएसपी और संस्थागत बीसी द्वारा उपलबध कराए गए सीएसपी को भी शामिल करना चाहिए।
5	**2000 से अधिक आबादीवाले गांवों में बैंकिंग आउटलेटों की संख्या**	शाखाओं के माध्यम से	2000 से अधिक आबादीवाले गांवों में ग्रामीण शाखाओं की संख्या।
6		बीसी के माध्यम से	2000 से अधिक आबादीवाले गांवों में बीसी आउटलेटों की संख्या।
7		अन्य माध्यमों से	2000 से अधिक आबादीवाले गांवों में ग्रामीण एटीएम, मोबाइल वैन आदि जैसे अन्य माध्यमों के जरिए बीसी आउटलेटों की संख्या (समग्रत: बैंक के रूप में)।
8		**उप जोड़ : > 2000**	2000 से अधिक आबादीवाले गांवों में शाखाओं और बीसी और अन्य माध्यम से बैंकिंग आउटलेटों की संख्या। यह (5+6 +7) के बराबर होनी चाहिए। **कोई डाटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**

9	**2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग आउटलेटों की संख्या**	शाखाओं के माध्यम से	2000 से कम आबादीवाले गांवों में ग्रामीण शाखाओं की संख्या
10		बीसी के माध्यम से	2000 से कम आबादीवाले गांवों में बीसी आउटलेटों की संख्या।
11		अन्य माध्यमों से	2000 से कम आबादीवाले गांवों में ग्रामीण एटीएम, मोबाइल वैन आदि जैसे अन्य माध्यमों के जरिए बैंकिंग आउटलेटों की संख्या।
12		**उप जोड़: < 2000**	शाखाओं और बीसी और अन्य माध्यम से 2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग आउटलेटों की संख्या (9 + 10 + 11) के बराबर होनी चाहिए। **कोई डाटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**
13	**सभी गांवों कुल बैंकिंग आउटलेटों**		शाखाओं और बीसी और अन्य माध्यम से सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेटों की संख्या। यह (8 + 12) के बराबर होनी चाहिए। **कोई डेटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**
14	**शहरी स्थानों में बीसी आउटलेटों की कुल संख्या**		शहरी स्थानों में बीसी आउटलेटों की संख्या। एक शहर /शहरी बस्ती में कई बीसी आउटलेट हो सकते हैं। बीसी आउटलेटों की संख्या दी जानी चाहिए और न कि शहर /शहरी बस्ती की संख्या।
15	**शाखाओं के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)**	संख्या वास्तविक	शाखाओं के माध्यम से मौजूदा बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीसबीडीए) बैंक जमा खातों की संख्या (शाखाओं में मौजूद खोले गए सभी नो फ्रील खातों को बीसबीडीए के रूप में माना जाना है)
16		राशि हजार रुपए में	शाखाओं के माध्यम से बीसबीडीए में बकाया
17	**बीसी के माध्यम से बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) बकाया**	संख्या वास्तविक	बीसी के माध्यम से मौजूदा बुनियादी बचत बैंक जमा खातों की संख्या- सभी मौजूद आईसीटी आधारित नो फ्रील खातों को बीसबीडीए के रूप में माना जाना है।
18		राशि हजार रुपए में	बीसी के माध्यम से बीसबीडीए में बकाया राशि।
19	**बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) (समग्रत: बैंक के रूप में)**	संख्या वास्तविक	शाखाओं और बीसी के माध्यम से मौजूदा बुनियादी बचत बैंक जमा खातों की संख्या (यह 15+17 के बराबर होनी चाहिए) - **कोई डाटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए। .**
20		राशि हजार रुपए में	शाखाओं और बीसी के माध्यम से ऐसे वर्तमान बीएसबीडीए में बकाया राशि (यह 16+18 के बराबर होनी चाहिए) - **कोई डेटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**
21	**बीएसबीडीए में**	संख्या वास्तविक	शाखाओं+ बीसी के माध्यम से ऐसे वर्तमान बीएसबीडीए की

	प्राप्त की गई ओडी सुविधा		संख्या जिनमें ओवरड्राफ्ट सुविधा ली गई है।
22		राशि हजार रुपए में	बीएसबीडीए में लिए गए ओवरड्राफ्ट की बकाया राशि
23	**बकाया केसीसी - शाखाओं के माध्यम से**	संख्या वास्तविक	किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या - बकाया - शाखाओं के माध्यम से
24		राशि हजार रुपए में	किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या - बकाया राशि - शाखाओं के माध्यम से
25	**बकाया केसीसी - बीसी के माध्यम से**	संख्या वास्तविक	किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या - बकाया - बीसी के माध्यम से
26		राशि हजार रुपए में	किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या - बकाया राशि - बीसी के माध्यम से
27	**केसीसी - जोड़ (समग्रत: बैंक)**	संख्या वास्तविक	किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या - बकाया राशि - शाखाओं+ बीसी के माध्यम से - यह (23+25) के बराबर होनी चाहिए। **कोई डेटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**
28		राशि हजार रुपए में	किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या - बकाया राशि - शाखाओं+ बीसी के माध्यम से - यह (24+26) के बराबर होनी चाहिए।. **कोई डेटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**
29	**बकाया जीसीसी - शाखाओं के माध्यम से**	संख्या वास्तविक	सामान्य क्रेडिट कार्डों की संख्या - बकाया - शाखाओं के माध्यम से
30		राशि हजार रुपए में	सामान्य क्रेडिट कार्ड - बकाया राशि - शाखाओं के माध्यम से
31	**बकाया जीसीसी - बीसी के माध्यम से**	संख्या वास्तविक	सामान्य क्रेडिट कार्डों की संख्या - बकाया - बीसी के माध्यम से
32		राशि हजार रुपए में	सामान्य क्रेडिट कार्ड - बकाया राशि - बीसी के माध्यम से
33	**जीसीसी -जोड़ (समग्रत: बैंक के रूप में)**	संख्या वास्तविक	सामान्य क्रेडिट कार्डों की संख्या - बकाया - शाखाओं+ बीसी के माध्यम से - यह (29+31) के बराबर होनी चाहिए। **कोई डेटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**
34		राशि हजार रुपए में	सामान्य क्रेडिट कार्ड - बकाया राशि - शाखाओं+ बीसी के माध्यम से - यह (30+32) के बराबर होनी चाहिए। **कोई डेटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**
35	**बीसी-आईसीटी खातों में लेनदेन (अवधि के दौरान)**	बचत जमा (संख्या वास्तविक)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से बचत खातों में लेनदेनों की संख्या
36		बचत जमा (राशि हजार रुपए में)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से बचत खातों में लेनदेनों की राशि

37		ऋण /ओडी (संख्या वास्तविक)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से केसीसी/जीसीसी/ओडी जैसे ऋण उत्पाद खातों में लेनदेनों की संख्या।
38		ऋण /ओडी (राशि हजार रुपए में)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से ऋण/ओडी खातों में लेनदेनों की राशि।
39		मीयादी जमा/ आवती जमा (संख्या वास्तविक)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से मीयादी/ आवर्ती जमा खातों में लेनदेनों की संख्या।
40		मीयादी जमा/ आवती जमा (राशि हजार रुपए में)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से मीयादी/आवर्ती जमा खातों में लेनदेनों की राशि।
41		ईबीटी/प्रेषण(संख्या वास्तविक)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से किए गए ईबीटी/प्रेषण लेनदेनों की संख्या।
42		ईबीटी/प्रेषण (राशि हजार रुपए में)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से किए गए ईबीटी/प्रेषण लेनदेनों की राशि।
43		अन्य (संख्या वास्तविक)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से किए गए अन्य लेनदेनों की संख्या।
44		अन्य (राशि हजार रुपए में)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से किए गए अन्य लेनदेनों की राशि।
45	**बीसी-आईसीटी खातों में लेनदेनों की कुल संख्या**	**(संख्या वास्तविक)**	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से किए गए कुल लेनदेन। यह (35+37+39+41+43) के बराबर होना चाहिए। **कोई डेटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**
46		**राशि हजार रुपए में**	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीसी-आईसीटी के माध्यम से किए गए कुल लेनदेनों की राशि। यह (36+38+40+42+44) के बराबर होनी चाहिए। **कोई डेटा प्रविष्ट न किया जाए। इस पंक्ति में गणना फार्मूले के माध्यम से की जानी चाहिए।**

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.93 /02.01.001/2013-14	14.03.2014	वार्षिक ऋण योजना - नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए क्षमता संबद्ध प्लान (पीएलपी)
2	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11 /02.01.001/2013-14	09.07.2013	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - कार्यान्वयन-दिशानिर्देश
3	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.12 /02.01.001/2012-13	11.05.2013	अग्रणी बैंक योजना - महानगरीय केन्द्रों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
4	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.75 /02.01.001/2012-13	10.05.2013	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - कार्यान्वयन
5	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.68 /02.01.001/2012-13	19.03.2013	अग्रणी बैंक योजना - निगरानी सूचना प्रणाली (एमआइएस) को मजबूत बनाना
6	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.86 /02.01.001/2011-12	19.06.2012	रोडमैप - 2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
7	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.68 /02.01.001/2011-12	29.03.2012	एसएलबीसी की वेबसाइट - सूचना / डाटा का मानकीकरण
8	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.67 /02.01.001/2011-12	20.03.2012	अग्रणी बैंक योजना - जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) - एमएसएमई - विकास संस्था (डीआई) के निदेशक को शामिल करना
9	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.60 /02.08.001/2011-12	17.02.2012	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समितियों (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों (एमपी) विधान सभा सदस्यों (एमएलए) / जिला पंचायत प्रमुखों जैसे जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना
10	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.74 /02.19.010/2010-11	30.05.2011	इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) योजना और वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के अंतर्गत 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की रूपरेखा के अंतर्गत गांव आबंटित करने के मुद्दों का समाधान
11	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.44 /02.19.10/2010-11	29.12.2010	अग्रणी बैंक योजना - राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) बैठकों का आयोजन
12	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21 /02.19.10/2010-11	16.09.2010	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति - 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
13	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.15 /02.01.001/2013-14	26.07.2010	अग्रणी बैंक योजना - एसएलबीसी बैठकों का पुनरूद्धरण

14	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.57 /02.19.10/2010-11	02.03.2010	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट - सिफरिशों का कार्यान्वयन - अग्रणी बैंक और एससीबी
15	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.57 /02.19.10/2010-11	26.02.2010	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट -सिफरिशों का कार्यान्वयन - एसएलबीसी संयोजक बैंक
16	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.एचएलसी.बीसी.सं. 43/02.19.10/2009-10	27.11.2009	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति - 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में मार्च 2011 तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
17	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 111/02.13.03/2008-09	02.06.2009	निर्यात संवर्द्धन के लिए एसएलबीसी की उप समिति
18	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.79 /02.01.01/2008-09	30.12.2008	एसएलबीसी बैठकों में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मामलों को शमिल करना
19	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.33 /02.18.02/2006-07	15.11.2006	अग्रणी बैंक योजना - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना
20	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20 /02.01.01/2006-07	30.08.2006	नो फ्रील खातो और जीसीसी जारी करते हुए बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन
21	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.52 /02.02.001/2005-06	06.12.2005	एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिज़नेस सेटर योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण - बैठकों में समीक्षा
22	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.50 /02.02.01/2005-06	06.12.2005	अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में भाग लेना
23	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.47 /02.02.001/2005-06	09.11.2005	ऋण जमा अनुपात - ऋण जमा अनुपात पर विशेषज्ञ दल की सिफरिशों का कार्यान्वयन
24	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11 /02.02.001/2005-06	06.07.2005	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों / जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना- स्वयं सहायता समूहों के ऋण सहबद्धता कार्यक्रमों से संबंधित कार्य
25	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.93 /02.02.001/2004-05	11.04.2005	ग्रामीण उधार - नाबार्ड द्वारा तैयार की गयी क्षमता संबध्द योजनाओं (पीएलपी) पर आधरित वार्षिक ऋण योजनाएं
26	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.76 /02.02.001/2004-05	28.01.2005	अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में निजी क्षेत्र बैंकों की सहभागिता
27	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.62 /02.02.001/2004-05	08.12.2004	ग्रामीण उधार - सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण - समीक्षा-एसएए में छूट

28	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.5 /02.02.001/2004-05	16.07.2004	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभगिता
29	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.56 /02.02.001/2003-04	20.12.2003	आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रवाह
30	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14 /02.01.001/2003-04	29.07.2003	डीएलआरसी बैठकें आयोजित करना- अग्रणी बैंकों द्वारा विलंब से रिपोर्टें प्रस्तुत करना
31	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.59 /02.01.001/2002-03	06.01.2003	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभगिता
32	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 106/02.01.001/2001-02	14.06.2002	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभगिता
33	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.85 /02.01.001/2000-01	09.05.2001	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभगिता
34	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.81 /02.01.001/2000-01	27.04.2001	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करना - निगरानी
35	ग्राआक्रवि.एलबीएस.बीसी.सं.32 /02.01.001/2000-01	03.11.2000	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक करना
36	ग्राआक्रवि. सं.एलबीएस.बीसी. 86 /02.01.001/1996-97	16.12.1996	राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) में अनुसूचित जाती / अजजा के राष्ट्रीय आयोग को शामिल करना
37	ग्राआक्रवि. सं.एलबीएस.बीसी.13 /02.01.001/1996-97	19.07.1996	एसएलबीसी/डीसीसी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग/बोर्डों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
38	ग्राआक्रवि. सं.एलबीएस.बीसी.118 /02.01.001/1994-95	18.02.1995	ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात
39	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.112 एलबीसी.34/88-89	28.04.1989	राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकें
40	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.12/65/ 88-89	11.08.1988	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण - ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति गठित करना
41	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.100/55-87/88	22.04.1988	अग्रणी बैंक योजना - जिला ऋण प्लान/वार्षिक कार्रवाई प्लान
42	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.87/65-87/88	14.03.1988	ग्रामीण उधार - बैंक शाखाओं का सेवा क्षेत्र
43	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.69 एलबीएस/ सी.34-87/88	14.12.1987	राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) द्वारा कार्रवाई प्लान की समीक्षा

44	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.524/55-86/87	28.04.1987	अग्रणी बैंक योजना - जिला ऋण प्लान -वार्षिक कार्रवाई प्लान तैयार करना
45	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.430/55/86-87	03.03.1987	अग्रणी बैंक योजना - जिला ऋण प्लान - चौथे दौर के लिए दिशानिर्देश
46	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.363/1-84	02.11.1984	बैंक शाखाओं के कार्यनिष्पादन बजटों के साथ वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) का एकीकरण
47	ग्राआक्रवि.सं.एलबीसी.162/1-84	06.09.1984	बैंक शाखाओं के कार्यनिष्पादन बजटों के साथ वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) का एकीकरण
48	ग्राआक्रवि.सं.एलबीसी.135/55-84	30.08.1984	अग्रणी बैंक योजना - 1985 के लिए वार्षिक कार्य योजना- तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश
49	ग्राआक्रवि.सं.एलबीसी.96/1-84	18.01.1984	अग्रणी बैंक योजना - अग्रणी बैंक अधिकारी की नियुक्ति - जिला समन्वयक
50	ग्राआक्रवि.सं.एलबीसी.739/1-83	04.08.1983	अग्रणी बैंक योजना - के कार्य की समीक्षा के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें
51	ग्राआक्रवि.सं.3096/सी.517-82/83	13.04.1983	राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजकत्व
52	डीबीओडी.सं.बीपी.बी.बीसी.74/सी/ 462 (इ.9)-80	18.06.1980	ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात
53	डीबीओडी. सं.टीईपी.20/सी.517-77	02.02.1977	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
54	डीबीओडी.सं.बीडी.2955/सी.168-70	11.08.1970	अग्रणी बैंक योजना
55	डीबीओडी.सं.बीडी.4327/सी.168-169	23.12.1969	शाखा विस्तार कार्यक्रम - अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत जिलों का आबंटन